खंडों पर टिप्पण

आय-कर

खंड 2 - विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर आय-कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए कर से प्रभार्य आय पर उद्गृहीत किया जाना है। इसके अतिरिक्त, इस खंड में वे दरें भी दी गई हैं जिन पर वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान ऐसी आय से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी जो आय-कर अधिनियम के अधीन ऐसी कटौती के अधीन है और इसी में वे दरें भी दी गई हैं जिन पर वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए "अग्रिम कर" का संदाय किया जाएगा, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी या संदाय किया जाएगा और विशेष दशाओं में कर का परिकलन किया जाएगा और कर प्रभारित किया जाएगा ।

निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए आय-कर की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 1, आय-कर की वे दरें विनिर्दिष्ट करता है जिन पर आय निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए कर के दायित्वाधीन है । ये वे दरें हैं जो वित्त अधिनियम, 2002 की पहली अनुसूची के भाग 3 में, वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 2 वे दरें विनिर्दिष्ट करता है, जिन पर, "वेतन" से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी । आम तौर पर, ये वे दरें हैं जो वित्त अधिनियम, 2003 की पहली अनुसूची के भाग 2 में, वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई थीं । इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम में,—

(i) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे वह निगमित हो या न हो, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां आय अथवा ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है, और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, जो आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है ;

(ii) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, फर्म और स्थानीय प्राधिकारी तथा कंपनी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से ; और

(iii) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vi) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से,

अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 3, वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए वे दरें, जिन पर "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती की जाएगी या संदाय किया जाएगा और वे दरें भी, जिन पर "अग्रिम कर" का संदाय किया जाएगा और विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित या प्रभारित किया जाएगा, विनिर्दिष्ट करता है ।

इस भाग के पैरा क में प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे भाग 3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है । दर संरचना में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है ।

इस भाग का पैरा ख, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है । उन दशाओं में कर की दरें वे ही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं ।

इस भाग का पैरा ग, प्रत्येक फर्म की दशा में, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। उन दशाओं में कर की दरें वे ही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं ।

इस भाग का पैरा घ, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है । उन दशाओं में कर की दरें वे ही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं ।

इस भाग का पैरा ङ, कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है । उन दशाओं में कर की दरें वे ही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं, जैसे घरेलू कंपनियों की दशा में पैंतीस प्रतिशत और विदेशी कंपनियों की दशा में चालीस प्रतिशत ।

प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो कोई व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय है, और जिसकी आय आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है और जहां आय-कर की स्रोत पर कटौती की जाती है या "अग्रिम कर" इस भाग के उपबंधों के अनुसरण में संदेय है, आय-कर की ऐसी रकम में, अध्याय 8क के अधीन रिबेट अनुज्ञात करने के पश्चात्, संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है ।

प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जहां आय-कर इस भाग के उपबंधों के अनुसरण में, संगणित किया जाना है, आय-कर की ऐसी रकम में संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी की दशा में, जहां आय-कर इस भाग के उपबंधों के अनुसरण में, संगणित किया जाना है, आय-कर की ऐसी रकम में संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है ।

खंड 3 - परिभाषाओं से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (24) के उपखंड (xii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन धारा 28 के खंड (vii) में निर्दिष्ट राशि को आय की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है।

प्रस्तावित संशोधन उक्त उपखंड का संशोधन करने के लिए है जिससे कि धारा 28 के खंड (vक) का निर्देश दिया जा सके । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा के खंड (42क) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) में एक नया उपखंड (ज) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो धारा 47 के खंड (xiii) में निर्दिष्ट भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के अनपरस्परीकरण या निगमीकरण के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित किसी स्टाक एक्सचेंज का व्यापार या समाशोधन अधिकार है, वहां व्यापार या निकासी अधिकारों को धारण करने की अवधि की संगणना करते समय, वह अवधि सम्मिलित की जाएगी, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति ऐसे अनपरस्परीकरण या निगमीकरण के ठीक पूर्व मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज का कोई सदस्य था ।

उक्त धारा के खंड (42क) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) में एक नया उपखंड (जक) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो धारा 47 के खंड (xiii) में निर्दिष्ट भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के अनपरस्परीकरण या निगमीकरण के अनुसरण में किसी कंपनी में आबंटित साधारण शेयर है या शेयर हैं, वहां उत्तराधिकारी कंपनी में साधारण शेयरों को धारण करने की अवधि की संगणना करते समय, वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति, ऐसे अनपरस्परीकरण या निगमीकरण के ठीक पूर्व मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज का कोई सदस्य था ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 4 - भारत में निवास से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 6 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के उपखंड (6) के विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी व्यक्ति के बारे में यह तब कहा जाता है कि जब वह किसी पूर्ववर्ष में भारत में "मामूली तौर पर निवासी नहीं है" जब वह व्यक्ति, ऐसा व्यष्टि है, जो उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से नौ वर्षों में भारत में निवासी न रहा हो या उस वर्ष के पूर्ववर्ती सात पूर्ववर्षों के दौरान ऐसी कालावधि तक या कुल मिलाकर ऐसी कालावधियों तक जो सात सौ तीस दिन या उससे

अधिक की हो, भारत में न रहा हो या ऐसा हिन्दू अविभक्त कुटुंब है जिसका कर्ता उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से नौ पूर्ववर्षों में भारत में निवासी न रहा हो या उस वर्ष के सात पूर्ववर्षों के दौरान ऐसी कालावधि तक या कुल मिलाकर ऐसी कालावधियों तक जो सात सौ तीस दिन या उससे अधिक हो, भारत में न रहा हो ।

उक्त उपखंड (6) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में भारत में "मामूली तौर से निवासी" नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यष्टि है, जो उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से नौ वर्षों में भारत में निवासी न रहा हो या उस वर्ष के पूर्ववर्ती सात पूर्ववर्षों के दौरान ऐसी कालावधि तक या कुल मिलाकर ऐसी कालावधियों तक जो सात सौ उनतीस दिन या उससे कम की हो, भारत में न रहा हो या ऐसा हिन्दू अविभक्त कुटुंब है जिसका कर्ता उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से नौ पूर्ववर्षों में भारत में निवासी न रहा हो या उस वर्ष के सात पूर्ववर्षों के दौरान ऐसी कालावधि तक या कुल मिलाकर ऐसी कालावधियों तक जो सात सौ उनतीस दिन या उससे कम हो, भारत में न रहा हो । प्रस्तावित संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का है ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 5 - भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझी गई आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 9 की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, भारत में किसी कारबारी सम्पर्क के द्वारा या उससे भारत में किसी संपत्ति के द्वारा या उससे या भारत में किसी आस्ति या आय के स्रोत के द्वारा या उससे भारत में स्थित पूंजी आस्ति के अंतरण के द्वारा चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझा जाएगा । इस पद का किसी अभिकर्ता के संबंध में धारा 163 में भी निर्देश किया गया है । तथापि, "कारबारी सम्पर्क" पद को आय-कर अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) में स्पष्टीकरण 2 अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे "कारबारी सम्पर्क" की बाबत किन्हीं शंकाओं को दूर किया जा सके और यह उपबंधित किया जा सके कि "कारबारी सम्पर्क" पद में ऐसे किसी व्यक्ति के माध्यम से किए गए कारबारी क्रियाकलाप को सम्मिलित किया जाएगा जिसे अनिवासी की ओर से कार्य करते हुए,—

(i) संविदाओं को अंतिम रूप देने का प्राधिकार है और भारत में अभ्यासतः अनिवासी की ओर से उसका प्रयोग करता है परंतु यह तब जबकि उसके क्रियाकलाप अनिवासी के लिए माल या वाणिज्या के क्रय तक सीमित नहीं है ; या

(ii) ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है किन्तु अनिवासी की ओर से माल या वाणिज्या का भारत में अभ्यासतः स्टाक रखता है जिससे वह अनिवासी की ओर से माल या वाणिज्या का परिदान करता है ; या

(iii) भारत में अभ्यासतः अनिवासी के लिए या उस अनिवासी और अन्य अनिवासियों की ओर से जो नियंत्रण करते हैं या उनके द्वारा नियंत्रित हैं या उसी सम्मिलित नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जो अनिवासी का है, मुख्य रूप से या पूर्ण रूप से आदेश प्राप्त करता है ।

तथापि, "कारबारी सम्पर्क" पद, उन मामलों में स्थापित नहीं समझा जाएगा जहां अनिवासी किसी दलाल, साधारण कमीशन अभिकर्ता या किसी स्वतंत्र प्रास्थिति के किसी अन्य अभिकर्ता के द्वारा कारबार करता है यदि ऐसा व्यक्ति उसके कारबार के साधारण अनुक्रम में कार्य कर रहा है ।

स्पष्टीकरण 3 अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई दलाल, साधारण कमीशन अभिकर्ता या कोई अन्य अभिकर्ता (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् कमीशन अभिकर्ता कहा गया है) किसी स्वतंत्र प्रास्थिति का समझा जाएगा जहां ऐसा कमीशन अभिकर्ता अनिवासी के लिए या उस अनिवासी और अन्य अनिवासियों के लिए, जो नियंत्रण कर रहे हैं, या नियंत्रणाधीन हैं या उसी सम्मिलित नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जो उस अनिवासी का है, का कार्य मुख्यतः या पूर्ण रूप से नहीं करता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 6 - आय, जो कुल आय का भाग नहीं है, से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (6ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, ऐसी विदेशी कंपनी को, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित करे, भारत की सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं में भारत में या भारत से बाहर सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार के साथ हुए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में उद्भूत कोई आय उसकी कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं की जाती है।

उक्त खंड (6ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि स्वामिस्व के रूप में उद्भूत आय को भी पूर्वोक्त धारा की परिधि के भीतर लाया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड (10ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या किसी अन्य कंपनी या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन स्थापित किसी प्राधिकारी या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी सहकारी सोसाइटी या किसी विश्वविद्यालय या किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी ऐसी संस्था जिसका संपूर्ण भारत या किसी राज्य या राज्यों में अपना महत्व है, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे या किसी अधिसूचित प्रबंध संस्थान के किसी कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अपनी सेवा की समाप्ति के समय, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों या किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी की दशा में स्वैच्छिक पृथक्करण की किसी स्कीम के अनुसार प्राप्त ऐसी किसी रकम को, उस मात्रा तक जो पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर्मचारी की कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाता है ।

उक्त खंड (10ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे कर्मचारी द्वारा अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अपनी सेवा की समाप्ति पर प्राप्त या प्राप्त की जा सकने वाली पांच लाख रुपए से अनधिक की किसी रकम को, ऐसे कर्मचारी की कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड (10घ) के विद्यमान उपबंध के अधीन, जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त कोई राशि, जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित राशि है, जो धारा 80घघक की उपधारा (3) के अधीन प्राप्त किसी राशि से या किसी प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त किसी राशि से भिन्न है, छूट प्राप्त होगी ।

उक्त खंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसी बीमा पालिसी के, जिसकी बाबत किसी वर्ष के दौरान संदत्त प्रीमियम बीमा की वास्तविक पूंजी राशि के बीस प्रतिशत से अधिक हो जाता है, अधीन प्राप्त की गई किसी राशि को छूट नहीं दी जाएगी । तथापि, प्रस्तावित उपखंड (iii) के अधीन किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त ऐसी राशि को छूट दी जाएगी । यह स्पष्ट करने का भी प्रस्ताव है कि इस खंड के अधीन बीमा की वास्तविक पूंजी राशि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आय-कर अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (2क) के स्पष्टीकरण को प्रभाव दिया जाए । यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 80घघ की उपधारा (3) के अधीन किसी राशि को छूट नहीं दी जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड (15) के उपखंड (iv) की मद (छ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी पब्लिक कंपनी द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में आवासीय प्रयोजनों के लिए गृहों के सन्निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार करना है और जो धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) के अधीन कटौती के लिए पात्र कंपनी है, उन धनराशियों पर, जो उसने भारत के बाहर स्रोतों से 1 जून, 2003 से पूर्व केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित उधार करार के अधीन विदेशी करेंसी में उधार ली हों, संदेय ब्याज कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड (23खखघ) के विद्यमान उपबंध के अधीन, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन, "एएस ओ एस ए आई-सेक्रेटेरिएट" के रूप में रजिस्ट्रीकृत सेक्रेटेरिएट आफ दि एशियन आर्गनाइजेशन आफ दि सुप्रीम आडिट इन्स्टिट्यूशन की, 1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत तीन वर्षों के लिए कोई आय उसकी कुल आय में सम्मिलित नहीं की जानी है।

उक्त खंड (23खखघ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे छूट को 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले चार निर्धारण वर्षों की और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा तीन पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड (23घ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उस खंड में अध्याय 12ङ का निर्देश किया जा सके । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा तीन पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 23(ङख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, लघु उद्योग प्रत्यय प्रत्याभूति निधि न्यास की आय 1 अप्रैल, 2002 से प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पांच वर्ष की अवधि के लिए कर से छूट प्राप्त है ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि "लघु उद्योग प्रत्यय प्रत्याभूति निधि न्यास" पद के स्थान पर "लघु उद्योग प्रत्यय प्रत्याभूति निधि न्यास" रखा जा सके। प्रस्तावित संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती चार वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों को खंड (23चक) की परिधि से अपवर्जित करने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड (23छ) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी अवसंरचना उपक्रम या किसी आवास परियोजना में शेयरों या दीर्घकालिक वित्त द्वारा किए गए विनिधानों से किसी अवसंरचना पूंजी निधि या किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी या किसी सहकारी बैंक के लाभांशों, ब्याज या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में कोई आय उसकी कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं की जाती है । उक्त खंड के स्पष्टीकरण 1 में "अवसंरचना पूंजी कंपनी" या "अवसंरचना पूंजी निधि" को ऐसी कंपनी या निधि के रूप में परिभाषित किया गया है जो ऐसे किसी उद्यम में विनिधान करती है जो किसी अवसंरचना सुविधा का (i) विकास करने या (ii) अनुरक्षण और प्रचालन करने या (iii) विकास, अनुरक्षण और प्रचालन करने के कारबार में पूर्णतः लगी हुई है ।

धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों को खंड (23छ) की परिधि से अपवर्जित करने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

उक्त खंड (23छ) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि तीन सितारा या उससे अधिक प्रवर्ग के होटलों के निर्माण की परियोजनाओं या एक सौ या उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों के निर्माण की परियोजनाओं को भी उस खंड के अधीन पात्र कारबारों की सूची में लाया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त खंड (23छ) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी "अवसंरचना पूंजी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने किसी ऐसे उद्यम को, जो इस खंड में निर्दिष्ट कारबार में पूर्णतया लगा हुआ है, शेयरों का अर्जन करने या दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के रूप में विनिधान किए हैं ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त खंड (23छ) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी "अवसंरचना पूंजी निधि" से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख के अधीन संचालित ऐसी निधि अभिप्रेत है जो न्यासियों द्वारा किसी ऐसे उद्यम को, जो इस खंड में निर्दिष्ट कारबार में पूर्णतया लगा हुआ है, शेयरों के अर्जन या दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के रूप में विनिधान के लिए धन उगाहने के लिए स्थापित की गई है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त खंड (23छ) के स्पष्टीकरण 1 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि उस खंड में प्रयुक्त "होटल परियोजना" और "अस्पताल परियोजना" पदों को परिभाषित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा में एक नया खंड (26खखख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के, जो भारत के नागरिक हैं, कल्याण और आर्थिक उत्थान के लिए किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम की किसी आय को छूट दी जा सके । यह खंड, उस खंड में प्रयुक्त "भूतपूर्व सैनिक" पद को भी परिभाषित करता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा में एक नया खंड (33) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूंजी आस्ति के, जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट यूनिट स्कीम 1964 की यूनिट है अंतरण से उद्‌भूत किसी आय को, और जहां ऐसी आस्ति का अंतरण 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात्‌ किया जाता है, कर से छूट दी जाएगी ।

यह संशोधन, भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड (34) को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में किसी आय को किसी व्यक्ति की किसी पूर्ववर्ष की कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

एक नया खंड (35) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रशासक या खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक या विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि से यूनिटों की बाबत प्राप्त आय के रूप में कोई आय छूट प्राप्त होगी । यह भी उपबंध किया गया है कि यह खंड, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक या विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि के यूनिटों के अंतरण से उद्‌भूत किसी आय को लागू नहीं होगा ।

इसमें उक्त खंड में प्रयुक्त "प्रशासक" और "विनिर्दिष्ट कंपनी" पदों को भी परिभाषित करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

एक नया खंड (36) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से जो भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी कंपनी में साधारण शेयर हैं और 1 मार्च, 2003 को या उसके पश्चात्‌ किंतु 1 अप्रैल, 2004 से पूर्व अर्जित किया गया है, उद्‌भूत किसी आय को कर से छूट प्राप्त होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 7 - मुक्त व्यापार क्षेत्रों में नए उपक्रम स्थापित करने की बाबत विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 10क का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंध के अधीन, ऐसे लाभों और अभिलाभों की कटौती जो किसी उपक्रम द्वारा वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न हैं, निर्धारिती की कुल आय से अनुज्ञात की जाएगी। तथापि किसी उपक्रम को 1 अप्रैल, 2010 से प्रारंभ होने वाले और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के निर्धारण वर्ष के लिए कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी । उक्त धारा की उपधारा (1क) में यह उपबंध है कि 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात्‌ विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित उपक्रम को पांच वर्ष के लिए निर्यात लाभ की शत-प्रतिशत कटौती और आगे दो निर्धारण वर्षों के लिए पचास प्रतिशत कटौती के लिए हकदार होगा । उपधारा (9) के अधीन, उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती उस निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं है जहां उपक्रम में स्वामित्व और फायदाप्रद हित किसी भी रीति से अंतरित किए गए हैं । तथापि, यह शर्त वहां लागू नहीं है जहां किसी फर्म या एकमात्र स्वामित्व समुत्थान के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कोई कंपनी उसकी उत्तराधिकारी होती है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) में उपधारा (1क) का प्रतिनिर्देश अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

उपधारा (5) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे "उपधारा (1)" की बजाय "इस धारा के प्रतिनिर्देश" अंतःस्थापित किया जा सके । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

ये संशोधन, भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उपधारा (9), उपधारा (9क) और उपधारा (9क) के नीचे आने वाले स्पष्टीकरण 1 का लोप करने का प्रस्ताव है । एक नई उपधारा (7क) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी कंपनी को समामेलन या निर्विलियन की किसी स्कीम के अधीन किसी दूसरी कंपनी में अंतरित किया जाता है वहां समामेलित या निर्विलायक पारिणामी कंपनी को इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञेय होगी । तथापि, इस धारा के अधीन कोई कटौती उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन या निर्विलियन होता है, समामेलक कंपनी या निर्विलियत कंपनी को अनुज्ञेय नहीं होगी।

अंत में स्पष्टीकरण 4 अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्माण या उत्पादन" के अंतर्गत बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्नों को तराशना और पॉलिश करना भी है ।

ये संशोधन, 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 8 - नवस्थापित शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंधों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 10ख का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंध के अधीन, ऐसे लाभों और अभिलाभों की, जो दस क्रमवर्ती वर्ष की अवधि के लिए वस्तु या चीजों या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से किसी उपक्रम को व्युत्पन्न होते हैं, कटौती निर्धारिती की कुल आय से अनुज्ञात की जाती है । तथापि, 1 अप्रैल, 2010 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए किसी उपक्रम को कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं है । उपधारा (9) के अधीन उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती को कोई कटौती वहां अनुज्ञात नहीं की जाती है जहां स्वामित्व या उपक्रम में फायदे प्रति ब्याज का किसी साधन द्वारा अंतरण किया जाता है । तथापि, यह शर्त वहां लागू नहीं होती है जहां कारबार के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कोई फर्म या एकमात्र स्वामित्वधारी समुत्थान किसी कंपनी का उत्तराधिकार प्राप्त करता है ।

उपधारा (9) तथा उपधारा (9क) और उपधारा (9क) के नीचे आने वाले स्पष्टीकरण 1 का लोप करने का प्रस्ताव है । एक नई उपधारा (7क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी कंपनी को समामेलन या निर्विलियन की किसी स्कीम के अधीन किसी दूसरी कंपनी में अंतरित किया जाता है वहां समामेलित या परिणामी कंपनी को इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञेय होगी। तथापि, इस धारा के अधीन कोई कटौती उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन या निर्विलियन होता है, समामेलक कंपनी या निर्विलियत कंपनी को अनुज्ञेय नहीं होगी।

अंत में स्पष्टीकरण 4 अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के प्रयोजनो के लिए, "विनिर्माण या उत्पादन" के अंतर्गत बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्नों को तराशना और पॉलिश करना भी है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 9 पूर्वोत्तर क्षेत्र में कतिपय औद्योगिक उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 10ग का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 10ग में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी उपक्रम को 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 10 - पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति से आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 11 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (3क) के परंतुक के विद्यमान उपबंध के अधीन, निर्धारण अधिकारी, उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किए गए संदाय या जमा के रूप में आय के उपयोग को अनुज्ञात नहीं करेगा ।

उक्त उपधारा में दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि न्यास या संस्था की दशा में, जिसने उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में अपनी आय विनिहित या निक्षिप्त की है, तो निर्धारण अधिकारी, उस वर्ष में, जिसमें ऐसा न्यास या संस्था विघटित हुई थी, उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसी आय के उपयोग को अनुज्ञात कर सकेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 11 - वेतन में से कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 16 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (i) के उपखंड (अ) के विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी निर्धारिती की दशा में, जिसकी वेतन से आय एक लाख पचास हजार रुपए तक है, इस खंड के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व वेतन के तैंतीस सही एक बटा तीन प्रतिशत के बराबर राशि या तीस हजार रुपए की राशि, इनमें से जो भी कम हो, उसके वेतन से कटौती के रूप में अनुज्ञात है । खंड (i) के उपखंड (आ) में यह उपबंध है कि किसी निर्धारिती की दशा में जिसकी वेतन से आय एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक है किंतु तीन लाख रुपए से कम है, इस खंड के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व पच्चीस हजार रुपए की राशि की कटौती अनुज्ञात होगी । खंड (i) के उपखंड (ग) में यह उपबंध है कि किसी निर्धारिती की दशा में जिसकी वेतन से आय तीन लाख रुपए से अधिक किंतु पांच लाख रुपए से कम है, इस खंड के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व पच्चीस हजार रुपए की राशि की कटौती अनुज्ञात होगी ।

उक्त खंड (i) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि किसी निर्धारिती को, जिसकी वेतन से आय, इस खंड के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, वेतन के चालीस प्रतिशत के बराबर राशि या तीस हजार रुपए की राशि की, उनमें से जो भी कम हो, कटौती अनुज्ञात की जाएगी । किसी ऐसे निर्धारिती को, जिसकी वेतन से आय, इस खंड के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व, पांच लाख रुपए से अधिक है, बीस हजार रुपए की राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 12 - भवनों के लिए किराया, रेट, कर, मरम्मत और बीमा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 30 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में विद्यमान उपबंध के अधीन किसी किराएदार के रूप में भिन्न निर्धारिती से, निर्धारिती के अधिभोगाधीन परिसरों की मरम्मत का खर्च और निर्धारिती द्वारा अधिभोगाधीन परिसरों की चालू मरम्मत की बाबत संदत्त रकम के लिए कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

उपर्युक्त धारा के खंड (ग) के पश्चात् स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि मरम्मत के खर्चे की बाबत संदत्त रकम और चालू मरम्मत की बाबत संदत्त रकम को पूंजी व्यय के प्रकार के किसी व्यय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 13 - मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर की मरम्मत और बीमे से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 31 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (i) के विद्यमान उपबंध के अधीन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर की चालू मरम्मतों की बाबत संदत्त रकम को उस धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाता है ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (ii) के पश्चात् एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि चालू मरम्मतों की बाबत संदत्त रकम में पूंजी व्यय की प्रकृति का कोई व्यय सम्मिलित नहीं होगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 14 - चाय विकास खाते से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 33कख का संशोधन करने के लिए है ।

उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, यदि कोई निर्धारिती, जो भारत में चाय उगाने और विनिर्मित करने का कारबार करता है, पूर्ववर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में ऐसे निर्धारिती द्वारा उस बैंक में चाय बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित स्कीम के अनुसरण में किसी विशेष खाते में कोई राशि जमा करता है या यदि कोई निर्धारिती केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से चाय बोर्ड द्वारा बनाई गई किसी स्कीम के अनुसरण में चाय निक्षेप खाते के नाम से ज्ञात कोई खाता खोलता है तो ऐसे निर्धारिती को पूर्ववर्ष के दौरान इस प्रकार जमा की गई राशि की कटौती या भारत में

चाय उगाने या विनिर्मित करने के कारबार से लाभ के चालीस प्रतिशत तक, इनमें से जो भी कम हो, अनुज्ञात की जाएगी ।

काफी उगाने और विनिर्मित करने के कारबार में लगे किसी निर्धारिती को भी उक्त धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 15 - उस अधिनियम के अधीन अनुज्ञात कतिपय अन्य कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 36 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iii) के विद्यमान उपबंध के अधीन, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय की संगणना करने में कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उधार ली गई पूंजी की बाबत ब्याज की कटौती अनुज्ञात की गई है।

उक्त खंड में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विद्यमान कारबार या वृत्ति के विस्तारण के संबंध में नई आस्ति (चाहे लेखा बहियों में पूंजीगत हो या नहीं) के अर्जन के लिए उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की किसी रकम की बाबत ऐसी कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी और ब्याज की ऐसी रकम उस तारीख से, जिसको ऐसी आस्ति के अर्जन के लिए पूंजी उधार ली गई थी, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक की, जिसको ऐसी आस्ति पहली बार प्रयोग में लाई गई थी, किसी अवधि के लिए है।

यह संशोधन 1 जून, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उपधारा (1) के खंड (viiक) के उपखंड (क) में विद्यमान उपबंध के अधीन कोई अनुसूचित बैंक (जो भारत के बाहर निगमित कोई बैंक नहीं है) या कोई गैर अनुसूचित बैंक उक्त खंड के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व उसकी सकल कुल आय के साढे सात प्रतिशत से अनधिक और डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए की गई व्यवस्था की बाबत ऐसे बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिमों के दस प्रतिशत से अनधिक रकम की कटौती का हकदार है । उपखंड (क) के पहले परंतुक के अधीन ऐसे बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में शंकास्पद आस्तियों या हानि आस्तियों के रूप में उसके द्वारा वर्गीकृत किसी आस्ति के लिए किसी व्यवस्था की बाबत कटौती का दावा करने का विकल्प है । उपखंड (क) के दूसरे परंतुक के अधीन कटौती की रकम पूर्ववर्ष के अंतिम दिन ऐसे बैंक की लेखा बहियों में दर्शित शंकास्पद आस्तियों या हानि आस्तियों की रकम के दस प्रतिशत तक सीमित है।

प्रस्तावित संशोधन उपखंड (क) में परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी अनुसूचित बैंक या किसी गैर अनुसूचित बैंक को उसके विकल्प पर, पूर्वगामी उपबंधों में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई किसी स्कीम के अनुसरण में प्रतिभूतियों के मोचन से उत्पन्न आय से अनधिक रकम के लिए और कटौती अनुज्ञात की जाएगी । एक दूसरा नया परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि तीसरे परंतुक के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक ऐसी आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय की विवरणी में प्रकट नहीं कर दी जाती है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (x) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय की संगणना करने में धारा 10 के खंड (23ङ) में विनिर्दिष्ट किसी निधि में किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा अभिदाय के रूप में संदत्त किसी राशि की बाबत कटौती अनुज्ञात है ।

उक्त खंड (x) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्थापित किसी विनिमय जोखिम निधि में किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा अभिदाय के रूप में संदत्त किसी राशि की बाबत कटौती अनुज्ञात की जाएगी । यह संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में नया खंड (xii) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यय (जो पूंजी व्यय की प्रकृति का नहीं है) जो किसी निगम या किसी निगमित निकाय द्वारा, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, जो किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के द्वारा गठित या स्थापित है, उस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत ऐसे उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए जिसके अधीन ऐसा निगम या निगमित निकाय गठित या स्थापित किया गया था, उपगत किया गया है, आय-कर अधिनियम की धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

यह संशोधन, भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 16 - "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती न करने योग्य रकमों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 40 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (i) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, आय-कर अधिनियम के अधीन प्रभार्य ऐसा कोई ब्याज (जो अप्रैल, 1938 के प्रथम दिन के पूर्व सार्वजनिक अभिदान के लिए पुरोधृत उधार पर ब्याज नहीं है) स्वामिस्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या अन्य राशि की, जो भारत के बाहर संदेय है, कटौती अनुज्ञात नहीं की गई है, यदि उस पर कर संदत्त नहीं किया गया है या स्रोत पर कटौती नहीं की गई है । तथापि, यदि ऐसी रकम की बाबत किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में कर संदत्त किया गया है या उसकी कटौती की गई है तो उस रकम की, उस पश्चात्वर्ती वर्ष में जिसमें कर संदत्त किया गया है या उसकी कटौती की गई है, कटौती अनुज्ञात की गई है ।

उक्त उपखंड (i) का यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापन करने का प्रस्ताव है कि आय-कर अधिनियम के अधीन प्रभार्य ऐसा कोई ब्याज (जो अप्रैल, 1938 के प्रथम दिन के पूर्व सार्वजनिक अभिदान के लिए पुरोधृत उधार पर ब्याज नहीं है), स्वामिस्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या अन्य राशि की, जो, भारत के बाहर या भारत में किसी ऐसे अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को संदेय है, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात् कर का संदाय नहीं किया गया है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय की संगणना करने में कटौती अनुज्ञात नहीं होगी । यह भी उपबंध है कि जहां ऐसी किसी राशि की बाबत अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती नहीं की गई है और पश्चात्वर्ती वर्ष में धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन विहित समय की समाप्ति से पूर्व संदाय किया गया है वहां ऐसी राशि की उस पूर्ववर्ष की आय की संगणना करने में, जिसमें ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व उपगत हुआ था, कटौती अनुज्ञात की जाएगी । इसके अतिरिक्त, जहां किसी राशि की बाबत अध्याय 17ख के अधीन किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में कर का संदाय किया गया है और उसकी कटौती की गई है वहां ऐसी राशि की उस पूर्ववर्ष की आय की संगणना करने में, जिसमें ऐसे कर का संदाय किया गया है और उसकी कटौती की गई है, कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

उक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (iii) के विद्यमान उपबंध के अधीन, कोई ऐसा संदाय, जो "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है, यदि यह, भारत के बाहर संदेय है, और यदि उस पर अध्याय 17ख के अधीन न तो कर संदत्त किया गया है, न ही उसकी उससे कटौती की गई है ।

उक्त उपखंड को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि किसी ऐसे संदाय की बाबत, जो वेतन शीर्ष के अधीन प्रभार्य है, यदि यह भारत के बाहर या भारत में किसी अनिवासी को संदेय है, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात् कर संदत्त नहीं किया गया है, कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 17 - कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से होने वाली आय से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषाओं से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 43 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (3) के विद्यमान उपबंध में "संयंत्र" पद परिभाषित है । उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि "भवन या फर्नीचर और फिटिंग" को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अपवर्जित किया जा सके ।

यह भी प्रस्ताव है कि उक्त धारा के खंड (6) के स्पष्टीकरण 2ख का संशोधन किया जाए जिससे "लेखा बहियों में दिखाया गया" शब्दों का लोप किया जा सके ।

ये संशोधन 1 जून, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 18 - केवल वास्तविक संदाय पर होने वाली कतिपय कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 43ख का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (ख) और खंड (ङ) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा, यथास्थिति, किसी भविष्य-निधि या अधिवर्षिता निधि

या उपदान निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय किसी राशि या निर्धारिती द्वारा किसी अनुसूचित बैंक से किसी सावधि ऋण पर ब्याज के रूप में ऐसे ऋण को शासित करने वाले करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार संदेय कोई राशि (उस पूर्ववर्ष पर ध्यान दिए बिना जिसमें उसके द्वारा लागू की गई नियमित रूप से गणना की पद्धति के अनुसार निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि के संदाय का दायित्व उपगत हुआ था) उस पूर्ववर्ष की धारा 28 में निर्दिष्ट आय की गणना करने में अनुज्ञात है, जिसमें वास्तविक रूप से राशि संदत्त की गई है ।

उक्त धारा के पहले परंतुक में यह उपबंध है कि कटौती तब अनुज्ञात होगी यदि, उस पूर्ववर्ष की बाबत धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने के मामले में लागू निश्चित तारीख को या उसके पूर्व निर्धारिती द्वारा वास्तविक रूप से राशि संदत्त की जाती है जिसमें ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व उपगत होता है और ऐसे संदाय का साक्ष्य ऐसी विवरणी के साथ-साथ निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ।

उक्त धारा के दूसरे परंतुक में यह उपबंध है कि कोई कटौती खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी राशि की बाबत तब तक अनुज्ञात नहीं होगी जब तक ऐसी राशि वास्तव में नकद या चैक या ड्राफ्ट या किसी अन्य रीति से धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (vक) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित निश्चित तारीख को या उसके पूर्व संदत्त की गई है, और जहां ऐसा संदाय नकद से भिन्न अन्यथा किया जाता है, वहां राशि का निश्चित तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर भुगतान हो गया है ।

धारा 43ख के खंड (ङ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती द्वारा किसी अनुसूचित बैंक से किसी ऋण या अग्रिम पर ब्याज के रूप में ऐसे ऋण या अग्रिम को शासित करने वाले करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार संदेय कोई राशि (उस पूर्ववर्ष पर ध्यान दिए बिना जिसमें उसके द्वारा लागू की गई नियमित रूप से गणना की पद्धति के अनुसार निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि के संदाय का दायित्व उपगत हुआ था) केवल उस पूर्ववर्ष की धारा 28 में निर्दिष्ट आय की गणना करने में अनुज्ञात है, जिसमें वास्तविक रूप से राशि संदत्त की गई है ।

उक्त धारा के पहले परंतुक का और संशोधन करने के लिए प्रस्ताव है जिससे कि खंड (क), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के निर्देशों का लोप किया जा सके जो पारिणामिक प्रकृति का है ।

धारा के दूसरे परंतुक का लोप करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से लागू होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 19 - वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों द्वारा लेखाओं के रखे जाने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 44कक का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 44कक का संशोधन करने और उसमें धारा 44खख और धारा 44खखख का प्रतिनिर्देश अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित संशोधन के पश्चात् यदि कारबार से लाभ और अभिलाभ, यथास्थिति, धारा 44खख या धारा 44खखख के अधीन निर्धारिती का लाभ और अभिलाभ समझा जाता है और निर्धारिती, ऐसे पूर्ववर्ष के दौरान, अपने कारबार के इस प्रकार समझे गए लाभ और अभिलाभ से अपनी आय का कम होने का दावा करता है तो ऐसे निर्धारिती से ऐसी लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को रखने और बनाए रखने की अपेक्षा की जाएगी जिससे निर्धारण अधिकारी, आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में उसकी कुल आय को संगणित करने में समर्थ हो सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 20 - वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 44कख का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के उपबंधों को ऐसे व्यक्ति को लागू करने का प्रस्ताव है जिसे धारा 44खख या धारा 44खखख में निर्दिष्ट प्रकृति की आय व्युत्पन्न होती है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 21 - माल वाहन चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 44कङ का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जिसके स्वामित्व में दस से अधिक माल वाहन नहीं हैं और जो माल वाहनों को चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार में लगा हुआ है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे कारबार की आय, पूर्ववर्ष में उसके स्वामित्व में के सभी माल वाहनों से लाभों और अभिलाभों का योग समझी जाएगी।

उस उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के उपबंध किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में लागू होंगे जिसके स्वामित्व में पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय दस से अधिक माल वाहन नहीं हैं । प्रस्तावित संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 22 - खनिज तेलों की खोज आदि के कारबार के संबंध में लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 44खख का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंध के अधीन, ऐसे किसी अनिवासी निर्धारिती की आय, जो खनिज तेलों के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन के संबंध में सेवाएं या सुविधाएं प्रदान करने के या उक्त कार्य के लिए उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी किराए पर देने के कारबार में लगा हुआ है, निर्धारिती या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को, चाहे भारत में या बाहर ऐसी सेवाओं और सुविधाओं मद्दे, संदत्त या संदेय रकमों के योग के दस प्रतिशत से कर संगणित किया जाता है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई निर्धारिती, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट लाभों और अभिलाभों से कम लाभों और अभिलाभों का दावा कर सकता है, यदि वह ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज रखता है और उन्हें बनाए रखता है, जो धारा 44कक की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित है और धारा 44कख के अधीन अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराता है और ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट दे देता है और तदुपरांत निर्धारण अधिकारी धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करने के लिए कार्यवाही करेगा और निर्धारिती द्वारा संदेय या उनको प्रतिदेय राशि अवधारित करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 23 - कतिपय टर्न-की विद्युत परियोजनाओं में सन्निर्माण के कारबार आदि में लगी विदेशी कंपनियों के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 44खखख का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी विदेशी कंपनी की आय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित और अंतरराष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन वित्तपोषित किसी टर्न-की विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सिविल निर्माण या परिनिर्माण या संयंत्र या मशीनरी के परीक्षण या चालू करने के कारबार में लगी हुई है, ऐसे निर्धारिती या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को भारत में या भारत से बाहर उपर्युक्त संयंत्र या मशीनरी के सिविल निर्माण, परिनिर्माण, परीक्षण या चालू करने की बाबत संदत्त या संदेय रकम के दस प्रतिशत की दर से संगणित की जाएगी ।

उपखंड (क) विद्यमान धारा को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित करने और यह उपबंध करने का प्रस्ताव करता है कि उपधारा के उपबंध केवल उन परियोजनाओं की बाबत लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हैं । यह ऐसी परियोजनाओं के किसी अंतरराष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के वित्तपोषण की अपेक्षा का लोप करता है।

उपखंड (ख) उपर्युक्त धारा में एक नई उपधारा (2) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई निर्धारिती उपधारा (1) में निर्दिष्ट लाभों और अभिलाभों से कम लाभों और अभिलाभों का दावा कर सकेगा यदि वह धारा 44कक की उपधारा (2) के अधीन यथाअपेक्षित लेखाबहियां और अन्य दस्तावेज रखता है या बनाए रखता है और अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराता है तथा धारा 44कख के अधीन यथाअपेक्षित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट देता है और तदुपरांत निर्धारण अधिकारी धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करने की कार्रवाई करता है और निर्धारिती द्वारा संदेय और उसको प्रतिदेय राशि का अवधारण करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 24 - विदेशी कंपनियों की दशा में स्वामिस्व आदि के रूप में आय की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 44घ का संशोधन करने के लिए है ।

खंड (ख) के विद्यमान उपबंध के अधीन, 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ विदेशी कंपनी द्वारा किए गए करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय की संगणना करने में किसी व्यय या मोक की बाबत धारा 28 से धारा 44ग के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यय या मोक की बाबत धारा 44घ के उक्त खंड (ख) के अधीन कोई कटौती वहां अनुज्ञात नहीं की जाएगी जहां सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ विदेशी कंपनी द्वारा करार 31 मार्च, 2003 के पश्चात् किया गया है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 25 - आय-कर अधिनियम में अनिवासियों की दशा में स्वामिस्व आदि के रूप में आय की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित एक नई धारा 44घक अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा 44घक में यह उपबंध है कि 31 मार्च, 2003 के पश्चात् सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी द्वारा किए गए करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय की, जहां ऐसा अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या कोई विदेशी कंपनी भारत में वहां स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारबार करती है या उसमें अवस्थित वृत्ति के निश्चित स्थान से वृत्तिक सेवाएं प्रदान करती हैं और अधिकार, संपत्ति या संविदा, जिसके संबंध में स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस संदत्त की जाती है, यथास्थिति, ऐसे स्थायी स्थापन या वृत्ति के निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से जुड़े हुए हैं, संगणना इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार "कारबार या वृत्ति के लाभ या अभिलाभ" शीर्ष के अधीन की जाएगी । तथापि, यह उपबंध किया गया है कि ऐसे किसी व्यय या मोक की बाबत, जो भारत में ऐसे स्थायी स्थापन के कारबार या वृत्ति के निश्चित स्थान के लिए पूर्णतः या अनन्यतः उपगत नहीं हुआ है ; या ऐसी रकमों, यदि कोई हों, की बाबत, जो स्थायी स्थापन द्वारा अपने मुख्यालय या अपने अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को संदत्त (वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति से अन्यथा भिन्न मद्दे) की गई हैं, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

प्रस्तावित नई धारा में यह भी अपेक्षित है कि प्रत्येक अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी धारा 44कक के उपबंधों के अनुसार लेखा बहियां तथा अन्य दस्तावेज रखेगी और उन्हें बनाए रखेगी और धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराएगी और आय की विवरणी के साथ ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट देगी ।

यह, उक्त धारा में प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस", "स्वामिस्व" और "स्थायी स्थापन" पदों को भी परिभाषित करती है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 26 - पूंजी अभिलाभ से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 45 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (5) में के विद्यमान उपबंध में, पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ, जो किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन या प्रतिफल के अंतरण के रूप में अंतरण है जिसके लिए केंद्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवधारण या अनुमोदन किया गया था और ऐसे अंतरण की प्रतिकर या प्रतिफल किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा और वर्धित किया गया था, यथास्थिति, प्रतिकर या प्रतिफल अथवा वर्धित प्रतिकर या प्रतिफल को हिसाब में लेने के पश्चात् उस उपधारा में विनिर्दिष्ट रीति में संगणित किया जाता है ।

प्रस्तावित संशोधन उपधारा (5) में नया खंड (ग) अंतःस्थापित करने के लिए आशयित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां प्रतिकर या प्रतिफल की राशि में तत्पश्चात् किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कटौती कर दी जाती है वहां उस वर्ष का पूंजी अभिलाभ जिसमें प्रतिकर या प्रतिफल प्राप्त किया गया है, पर कर लगाया गया था, तदनुसार संगणित किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 27 - अंतरण न समझे जाने वाले संव्यवहारों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (xiii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "निगमीकरण" पद के स्थान पर, "अनपरस्परीकरण या निगमीकरण" पद रखा जा सके ।

उक्त धारा में एक नया खंड (xiiiक) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूंजी आस्ति के, जो भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के किसी सदस्य द्वारा शेयरों के अर्जन तथा अनपरस्परीकरण या निगमीकरण की किसी स्कीम के अनुसार, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है, उस मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में ऐसे व्यक्ति द्वारा अर्जित व्यवसाय या निकासी अधिकारों के लिए धारित सदस्यता का अधिकार है, अंतरण को पूंजी अभिलाभ के प्रयोजनों के लिए पूंजी आस्ति का अंतरण नहीं माना जाएगा ।

ये संशोधन 1 जून, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 28 - किसी पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 55 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (कख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि "निगमीकरण" पद के स्थान पर, "अनपरस्परीकरण या निगमीकरण" पद रखा जा सके । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

उक्त खंड (कख) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूंजी आस्ति की लागत को, जो ऐसे शेयरधारक द्वारा अर्जित भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के व्यापार या समाशोधन अधिकार हैं, जिसे अनपरस्परीकरण या निगमीकरण की किसी स्कीम के अधीन साधारण शेयर या शेयर आबंटित किए गए हैं, शून्य समझा जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 29 - "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की बाबत कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 57 का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों को उक्त धारा के खंड (i) की परिधि से अपवर्जित करने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 30 - समामेलन या निर्विलयन आदि में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक के अग्रनीत या मुजरा करने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 72क का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंध के अधीन, जहां किसी औद्योगिक उपक्रम या पोत के स्वामी किसी कंपनी का किसी अन्य कंपनी से समामेलन हुआ है वहां समामेलित कंपनी को समामेलक कंपनी की संचयित हानि और शेष अवक्षयण को अग्रनीत और मुजरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । उक्त धारा की उपधारा (2) में उपधारा (1) के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए पूरी की जाने वाली कतिपय शर्तें विनिर्दिष्ट हैं।

उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित नई उपधारा (1) में यह उपबंध है कि जहां किसी औद्योगिक उपक्रम या पोत या किसी होटल के स्वामी किसी कंपनी का किसी अन्य कंपनी से समामेलन हुआ है या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी बैंककारी कंपनी का किसी विनिर्दिष्ट बैंक से समामेलन हुआ है वहां आय-कर अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी समामेलक कंपनी की संचयित हानि और शेष अवक्षयण उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन किया गया था, समामेलित कंपनी के अवक्षयण के लिए, यथास्थिति, हानि या मोक माने जाएंगे और हानि के मुजरा तथा अग्रनयन और अवक्षयण के मोक से संबंधित इस अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

प्रस्तावित नई उपधारा (2) में यह उपबंध है कि उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी संचयित हानि मुजरा या अग्रनीत नहीं की जाएगी और शेष अवक्षयण समामेलित कंपनी के निर्धारण में तभी अनुज्ञात किया जाएगा जबकि समामेलक कंपनी और समामेलित कंपनी द्वारा उस उपधारा में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर दिया जाता है, अर्थात्, समामेलक कंपनी (क) कम से कम तीन वर्ष के लिए, जिसके दौरान संचयित हानि हुई है या शेष अवक्षयण संचयित हुआ है, कारबार में लगी रही है ; (ख) उसने समामेलन की तारीख को, समामेलन की तारीख के पूर्व दो वर्षों तक इसके द्वारा धारित

स्थिर आस्तियों के कम से कम तीन बटा चार बही मूल्य को लगातार प्रतिधारित किया हो और समामेलित कंपनी (i) समामेलन की तारीख से कम से कम पांच वर्ष के लिए समामेलन की स्कीम में अर्जित समामेलक कंपनी की स्थिर आस्तियों के कम से कम तीन बटा चार बही मूल्य को लगातार प्रतिधारित करती हो ; (ii) समामेलन की तारीख से कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए समामेलक कंपनी का कारबार चालू रखती है ; (iii) ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है जो समामेलक कंपनी के कारबार को पुनर्जीवित करने को सुनिश्चित करने के लिए या यह सुनिश्चित करने के लिए कि समामेलन विशुद्ध कारबार के प्रयोजन के लिए है, विहित की जाएं । समामेलित कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अनुसार हैं।

नई उपधारा (1) में प्रयुक्त "विनिर्दिष्ट बैंक" पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 31 - असुविधाग्रस्त आश्रित के चिकित्सीय उपचार सहित भरण-पोषण की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80घघ का प्रतिस्थापन करने के लिए है ।

उक्त धारा 80घघ की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंध के अधीन किसी निर्धारिती को, जो भारत में निवासी है और व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, चालीस हजार रुपए की कटौती अनुज्ञात की गई है यदि उसने पूर्ववर्ष के दौरान कोई व्यय किसी असुविधाग्रस्त आश्रित के चिकित्सीय उपचार (जिसके अंतर्गत परिचर्या भी है), प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपगत किया है ; या जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए इस निमित्त असुविधाग्रस्त आश्रित के भरण-पोषण के लिए बनाई गई और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अधीन कोई रकम उस पूर्ववर्ष की बाबत संदत्त की है या जमा की है ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा को, किसी आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार सहित भरण-पोषण की बाबत कटौती का उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाए ।

प्रस्तावित उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां किसी निर्धारिती ने, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और भारत में निवासी है, पूर्ववर्ष के दौरान कोई व्यय ऐसे आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार (जिसके अंतर्गत परिचर्या भी है), प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपगत किया है या जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता या खंड (क) में निर्दिष्ट प्रशासक या विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, भरण-पोषण के लिए इस निमित्त बनाई गई और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अधीन कोई रकम संदत्त या जमा की है वहां निर्धारिती को इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए पूर्ववर्ष की बाबत उसकी सकल कुल आय से पचास हजार रुपए की राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी । तथापि, ऐसे मामलों में, जहां ऐसा आश्रित गंभीर निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति है, वहां पचास हजार रुपए के बजाय पचहत्तर हजार रुपए की कटौती की जाएगी।

प्रस्तावित उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि प्रस्तावित नई उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी जब उस उपधारा में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी कर दी जाती हैं । ये शर्तें इस प्रकार हैं—(क) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट स्कीम में ऐसे किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटंब के सदस्य की जिसके नाम में स्कीम में अभिदाय किया गया है, मृत्यु की दशा में ऐसे किसी आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है फायदे के लिए वार्षिकी या एक मुश्त राशि के संदाय का उपबंध है ; और (ख) निर्धारिती आश्रित के जो निःशक्त व्यक्ति है फायदे के लिए निःशक्त आश्रित व्यक्ति को या उसकी ओर से संदाय प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या किसी नामनिर्देशिती को नामनिर्दिष्ट करता है ।

प्रस्तावित उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि यदि आश्रित की, जो निःशक्त व्यक्ति है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के सदस्य से पहले मृत्यु हो जाती है तो उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन संदत्त या जमा की गई रकम के बराबर किसी रकम को उस पूर्ववर्ष में जिसमें ऐसी रकम निर्धारिती द्वारा प्राप्त की जाती है, निर्धारिती की आय समझा जाएगा और तदनुसार वह उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर से प्रभार्य होगी ।

प्रस्तावित उपधारा (4) यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारिती इस धारा के अधीन कटौती का दावा करते समय विहित प्ररूप और रीति में चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की एक प्रति के साथ धारा 139 के अधीन उस निर्धारण वर्ष की बाबत, जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, आय की विवरणी देगा । तथापि, जहां निःशक्तता की शर्त में पूर्वोक्त प्रमाणपत्र में अनुबंधित अवधि के पश्चात् उसकी सीमा का पुनर्निर्धारण अपेक्षित है वहां उस पूर्ववर्ष की जिसके दौरान निःशक्तता का पूर्वोक्त प्रमाणपत्र समाप्त हुआ था, समाप्ति के पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ष से संबंधित किसी निर्धारण वर्ष के लिए कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक चिकित्सा प्राधिकारी से विहित प्ररूप और रीति में नया प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता और आय की विवरणी के साथ उसकी प्रति नहीं दे दी जाती ।

प्रस्तावित नई धारा "प्रशासक", "आश्रित", "निःशक्तता", "जीवन बीमा निगम", "चिकित्सा प्राधिकारी", "निःशक्त व्यक्ति", "गंभीर निःशक्त व्यक्ति" और "विनिर्दिष्ट कंपनी" पदों को भी परिभाषित करती है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 32 - चिकित्सीय उपचार आदि की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80घघख के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी निर्धारिती को, जो कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है स्वयं व्यष्टि या उसके आश्रित नातेदार या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य को ऐसे किसी रोग या व्याधि की बाबत, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत व्यय के लिए कटौती अनुज्ञात की जाती है । कटौती चालीस हजार रुपए तक सीमित है । वरिष्ठ नागरिकों को साठ हजार रुपए तक की कटौती अनुज्ञात है । निर्धारिती को विहित प्ररूप में और ऐसे प्राधिकारी से, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

उक्त धारा के स्थान पर एक नई धारा रखने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी निर्धारिती ने, जो भारत में निवासी है, ऐसे रोग या व्याधि के, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उस दशा में जब निर्धारिती कोई व्यष्टि है, स्वयं के लिए या किसी आश्रित के लिए अथवा उस दशा में जब निर्धारिती कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब है, किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के लिए चिकित्सीय उपचार के लिए कोई व्यय वास्तविक रूप से उपगत किया है, वहां उसे वास्तविक उपगत व्यय या चालीस हजार रुपए की राशि, इनमें से जो भी कम हो, उस पूर्ववर्ष की बाबत जिसमें ऐसा व्यय उपगत हुआ था, अनुज्ञात किया जाएगा। जहां व्यय निर्धारिती या उसके आश्रित या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य की बाबत जो कोई वरिष्ठ नागरिक है, उपगत किया जाता है, वहां उसे साठ हजार रुपए तक की कटौती अनुज्ञात की जाएगी । तथापि, ऐसी कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती आय-कर विवरणी के साथ ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, किसी सरकारी अस्पताल में कार्यरत किसी तंत्रिका विज्ञानी, किसी अर्बुद्ध विज्ञानी, किसी मूत्ररोग विज्ञानी, किसी रुधिर विज्ञानी, किसी प्रतिरक्षा विज्ञानी या ऐसे किसी विशेषज्ञ का, जो विहित किया जाए, प्रमाणपत्र नहीं देता है । आगे यह उपबंध है कि उक्त धारा के अधीन कटौती में से ऐसी राशि यदि कोई हो, जो किसी बीमाकर्ता से बीमा के अधीन प्राप्त होती है या नई प्रस्तावित धारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति के चिकित्सीय उपचार के लिए किसी नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है, कम कर दी जाएगी ।

नई धारा में प्रयुक्त "आश्रित", "सरकारी अस्पताल", "बीमाकर्ता", और "वरिष्ठ नागरिक" पदों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 33 - अवसंरचना विकास आदि में लगे औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80झक का संशोधन करने के लिए है ।

उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन कोई निर्धारिती, उस वर्ष से आरंभ होने वाले पंद्रह वर्षों में से दस आनुक्रमिक निर्धारण वर्षों के लिए जिसमें उपक्रम या उद्यम उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (iii) में निर्दिष्ट कोई विशेष आर्थिक जोन विकास करता है या विकास और प्रचालन करता है या अनुरक्षित और प्रचालित करता है, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कटौतियों का दावा कर सकेगा ।

उपखंड (i) "किसी विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है या विकास और प्रचालन करता है या अनुरक्षित और प्रचालित करता है" पद के स्थान पर, "या किसी विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है" पद रखने के लिए है ।

यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उपखंड (ii)(क) उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (ii) का इस दृष्टि से, समय-सीमा का विस्तार करने के लिए जिसके पूर्व पात्र उपक्रम को 31 मार्च, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक दूर-संचार सेवाएं आदि उपलब्ध कराना है, संशोधन करने के लिए है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उपखंड (ii)(ख) उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (iii) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई उपक्रम 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात्‌ किसी विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है और दूसरे उपक्रम को (अंतरिती उपक्रम) को प्रचालन और अनुरक्षण का अंतरण करता है वहां अंतरिती उपक्रम को दस आनुक्रमिक निर्धारण वर्षों में शेष अवधि के लिए कटौती इस प्रकार उपलब्ध होगी मानो प्रचालन और अनुरक्षण अंतरिती उपक्रम को अंतरित न किया गया हो ।

यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 34 - अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80झख का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस उपधारा के अधीन विधेयक के खंड 35 द्वारा अन्तःस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित धारा 80झग की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम या उद्यम को, 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्‌वर्ती वर्ष के लिए, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (8क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के कार्य में लगी किसी कंपनी को उस उपधारा के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी यदि ऐसी कंपनी को अन्य बातों के साथ, 1 अप्रैल, 2003 के पूर्व अनुमोदित कर दिया गया है ।

उक्त समय-सीमा का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए 31 मार्च, 2004 तक विस्तार करने का प्रस्ताव है ।

उपधारा (10) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन आवासन परियोजनाओं का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम के लाभों की शत-प्रतिशत कटौती को तब अनुज्ञात किया जाता है जब आवासन परियोजना 31 मार्च, 2001 के पूर्व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाती है और 31 मार्च, 2003 से पूर्व पूरी हो जाती है।

स्थानीय प्राधिकारी से अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए समय-सीमा को 31 मार्च, 2005 तक विस्तारित करने और परियोजना पूरी करने के लिए समय-सीमा को हटाने का प्रस्ताव है ।

उपधारा (11) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन कृषि उत्पाद के लिए शीतागार श्रृंखला सुविधा स्थापित करने और उसके प्रचालन के कारबार से लाभ व्युत्पन्न करने वाले औद्योगिक उपक्रम को उस उपधारा के अधीन कटौती अनुज्ञात है यदि ऐसा उपक्रम ऐसी सुविधा का 31 मार्च, 2003 से पूर्व प्रचालन आरंभ करता है । उक्त समय-सीमा को 31 मार्च, 2004 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 35 - आय-कर अधिनियम में कतिपय विशेष प्रवर्ग के राज्यों में कतिपय उपक्रमों या उद्यमों की बाबत विशेष उपबंधों से संबंधित एक नई धारा 80झग अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित उपधारा (1) में, यह उपबंध है कि जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में, प्रस्तावित उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कारबार से किसी उपक्रम या उद्यम को व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में ऐसे लाभों और अभिलाभों से प्रस्तावित उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

प्रस्तावित उपधारा (2) उन उपक्रमों या उद्यमों को विनिर्दिष्ट करती है जो प्रस्तावित नई धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र होंगे । ऐसे उपक्रम या उद्यम जो सिक्किम, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में उस धारा में विनिर्दिष्ट कारबार करते हैं, उक्त धारा में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कटौती के लिए पात्र होंगे ।

प्रस्तावित उपधारा (3) में कटौती की वह रकम विनिर्दिष्ट है जो उपक्रमों या उद्यमों के लिए पात्र होगी ।

प्रस्तावित उपधारा (4) में, प्रस्तावित नई धारा के अधीन कटौती के प्रयोजन के लिए उपक्रमों या उद्यमों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें विनिर्दिष्ट हैं ।

प्रस्तावित उपधारा (5) में यह उपबंध है कि निर्धारिती कुल आय की संगणना करने में, आय-कर अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्याय 6क में अंतर्विष्ट किसी अन्य धारा या उस अधिनियम की धारा 10क या धारा 10ख के अधीन, उपक्रमों या उद्यम के लाभों या अभिलाभों के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

प्रस्तावित उपधारा (6) में यह उपबंध है कि इस धारा के अधीन किसी उपक्रम या उद्यम को कोई कटौती, आय-कर अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वहां अनुज्ञात नहीं की जाएगी जहां इस धारा के अधीन कटौती की अवधि सहित कटौती की कुल अवधि इस अधिनियम की यथास्थिति, धारा 80झख की उपधारा (4) के दूसरे परंतुक के अधीन या धारा 10ग के अधीन दस निर्धारण वर्ष से अधिक है ।

प्रस्तावित उपधारा (7) में यह उपबंध है कि आय-कर अधिनियम धारा 80झक की उपधारा (5) और उपधारा (7) से उपधारा (12) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन पात्र उपक्रम या उद्यम को लागू होंगे ।

प्रस्तावित उपधारा (8) में प्रस्तावित नई धारा में प्रयुक्त "आरंभिक निर्धारण वर्ष", "एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र", "औद्योगिक संवर्धन केंद्र", "औद्योगिक पार्क", "औद्योगिक क्षेत्र", "औद्योगिक संपदा", "पूर्वोत्तर राज्य", "साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क", "सारवान विस्तार" और "थीम पार्क" पदों को परिभाषित किया गया है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 36 - कतिपय प्रतिभूतियों, लाभांशों आदि पर ब्याज की बाबत कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80ठ का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iv), खंड (v) और खंड (vक) का लोप करने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (1) और खंड (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि किसी निर्धारिती को उसकी कुल आय की संगणना करने में अनुज्ञात की गई कटौती को नौ हजार रुपए से बढ़ाकर बारह हजार रुपए किया जा सके ।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 37 - कतिपय अंतर्निगमीय लाभांशों के संबंध में कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80ड का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में ऐसी देशी कंपनियों के लिए, जो अन्य देशी कंपनियों से लाभांश प्राप्त करती हैं और पुनःलाभांश के रूप में उनका वितरण करती हैं, कटौती अनुज्ञात है । किसी देशी कंपनी द्वारा किसी अन्य देशी कंपनी से प्राप्त किए गए लाभांशों पर कटौती की रकम प्राप्तकर्ता कंपनी द्वारा वितरित लाभांशों की सीमा तक होगी।

उक्त धारा का लोप करने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 38 - पाठ्य पुस्तकों से भिन्न भारतीय भाषाओं में कतिपय पुस्तकों के लेखकों की स्वामिस्व आय, आदि की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80थथखख का अंतःस्थापन करने के लिए है ।

प्रस्तावित उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां भारत में निवासी किसी व्यष्टि की दशा में, जो लेखक है, सकल कुल आय में किसी पुस्तक के जो एक साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति की कृति है के प्रतिलिप्यधिकार में उसके किन्हीं हितों के समनुदेशन या मंजूरी के लिए किसी एक मुश्त प्रतिफल या ऐसी पुस्तक की बाबत स्वामिस्व या प्रतिलिप्यधिकार फीस (चाहे एक मुश्त या अन्यथा प्राप्य हो) के मद्दे उसकी वृत्ति के प्रयोग में उसके द्वारा व्युत्पन्न कोई आय भी सम्मिलित है वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उसके अधीन रहते हुए निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में प्रस्तावित उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रीति में संगणित ऐसी आय से कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

प्रस्तावित उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि इस धारा के अधीन कटौती उपखंड (1) में निर्दिष्ट ऐसी संपूर्ण आय या तीन लाख रुपए की रकम के, इनमें से जो भी कम हो, बराबर होगी । तथापि, जहां ऐसे स्वामिस्व या प्रतिलिप्यधिकार फीस के रूप में आय पुस्तक में निर्धारिती के सभी अधिकारों के बदले एक मुश्त प्रतिफल नहीं है वहां ऐसी आय के संबंध में किए जाने वाले व्ययों को अनुज्ञात करने से पूर्व आय के उतने भाग को, जो पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय की गई ऐसी पुस्तकों के मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो, परिवर्जित किया जाएगा । यह ऐसा और उपबंध करने के लिए है कि भारत के बाहर किसी स्रोत से उपार्जित किसी आय की बाबत आय के उतने भाग को इस धारा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा जो निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसी आय उपार्जित की गई है या ऐसी और अवधि के भीतर, जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त मंजूर करे, अंत से छह मास की अवधि के भीतर संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में लाई जाती है ।

प्रस्तावित उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि इस धारा के अधीन कटौती तभी अनुज्ञात होगी जब निर्धारिती विहित प्ररूप और विहित रीति में, आय की विवरणी के साथ ऐसी विशिष्टियां उल्लिखित करते हुए, जो विहित की जाएं प्रस्तावित उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारिती को ऐसा संदाय करने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित कोई प्रमाणपत्र दे देता है ।

प्रस्तावित उपधारा (4) यह उपबंध करने के लिए है कि इस धारा के अधीन कटौती भारत के बाहर किसी स्रोत से उपार्जित किसी आय की बाबत तभी अनुज्ञात होगी जब निर्धारिती विहित रीति में आय की विवरणी के साथ विहित प्राधिकारी से विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र दे देता है ।

प्रस्तावित उपधारा (5) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां इस धारा में निर्दिष्ट किसी आय की बाबत किसी पूर्ववर्ष के लिए किसी कटौती का दावा किया गया है और अनुज्ञात किया गया है वहां ऐसी आय की बाबत कटौती किसी निर्धारण वर्ष में आय-कर अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

प्रस्तावित धारा में प्रयुक्त "लेखक", "पुस्तकें", "सक्षम प्राधिकारी" और "एक मुश्त राशि" पदों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 39 - पेटेंटों पर स्वामिस्व की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम में नई धारा 80ददख अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो व्यष्टि है और जो भारत का निवासी है और पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किसी पेटेंट की बाबत स्वामिस्व के रूप में कोई आय प्राप्त करता है, वहां ऐसी आय से ऐसी संपूर्ण आय के बराबर रकम की या तीन लाख रुपए की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती अनुज्ञात की जाएगी। तथापि, जहां पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन किसी पेटेंट की बाबत कोई अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत की गई है वहां इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए स्वामिस्व के रूप में आय उस अधिनियम के अधीन नियंत्रक द्वारा निर्धारित किसी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अधीन स्वामिस्व की राशि से अधिक नहीं होगी । आगे यह उपबंधित है कि भारत से बाहर किसी स्रोत से उपार्जित किसी आय की बाबत उतनी आय को इस धारा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा जो निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से उस पूर्ववर्ष के अंत से, जिसमें ऐसी आय उपार्जित की जाती है, छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जिसे सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में लाई जाती है ।

प्रस्तावित उपधारा (2) में यह उपबंध है कि इस धारा के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती ऐसी विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, वर्णित करते हुए आय की विवरणी के साथ, विहित प्ररूप में विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र नहीं देता है ।

प्रस्तावित उपधारा (3) में यह उपबंध है कि इस धारा के अधीन कोई कटौती भारत से बाहर किसी स्रोत से उपार्जित किसी आय की बाबत तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों से, जो विहित किए जाएं, प्रमाणपत्र नहीं देता है ।

प्रस्तावित उपधारा (4) में यह उपबंध है कि जहां किसी पूर्ववर्ष के लिए किसी कटौती का दावा किया गया है और इस धारा में निर्दिष्ट किसी आय की बाबत अनुज्ञात की गई है वहां किसी निर्धारण वर्ष में आय-कर अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसी आय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी ।

प्रस्तावित नई धारा उस धारा में प्रयुक्त "नियंत्रक", "पेटेंट", "पेटेंटी", "परिवर्धन का पेटेंट", "पेटेंटीकृत वस्तु", "पेटेंटीकृत प्रक्रिया", "स्वामिस्व" तथा "सही और पहला आविष्कारक" पदों को परिभाषित भी करती है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 40 - स्थायी शारीरिक निःशक्तता (जिसके अंतर्गत अंधापन भी है) की दशा में कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80प का प्रतिस्थापन करने के लिए है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी ऐसे व्यष्टि की, जो निवासी है और, पूर्ववर्ष के अंत में, किसी ऐसी स्थायी शारीरिक निःशक्तता से (जिसके अंतर्गत अंधापन भी है) पीड़ित है या ऐसी मानसिक मंदता से ग्रस्त है जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट स्थायी शारीरिक निःशक्तता या मानसिक मंदता है, जिसे किसी सरकारी अस्पताल में कार्यरत, यथास्थिति, चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, नेत्र रोग विशेषज्ञ या मनःचिकित्सक ने प्रमाणित किया है और जिसका प्रभाव यह है कि सामान्य कार्य अथवा अभिलाभपूर्ण नियोजन या उपजीविका में लगने की उस व्यष्टि की सामर्थ्य पर्याप्त रूप से घट गई है कुल आय की संगणना करने में चालीस हजार रुपए की राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

किसी निःशक्त व्यक्ति की दशा में कटौती का उपबंध करने के लिए उक्त धारा के स्थान पर नई धारा रखने का प्रस्ताव है ।

प्रस्तावित उपधारा (1) में यह उपबंध है कि किसी ऐसे व्यष्टि की, जो निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निःशक्त व्यक्ति प्रमाणित है, कुल आय की संगणना करने में पचास हजार रुपए की राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी। तथापि, जहां ऐसा व्यष्टि जो, गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्ति है वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचहत्तर हजार रुपए" शब्द रख दिए गए हों ।

प्रस्तावित उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा करने वाला प्रत्येक व्यष्टि, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र की एक प्रति जो उस निर्धारण वर्ष की बाबत, जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, धारा 139 के अधीन आय-कर की विवरणी के साथ प्रस्तुत की जाएगी । तथापि, जहां निःशक्तता की स्थिति के प्रभाव का उपर्युक्त प्रमाणपत्र में नियत किसी अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण अपेक्षित हो, वहां इस धारा के अधीन उस पूर्ववर्ष के अवसान के पश्चात् आरंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ष की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके दौरान उपर्युक्त निःशक्तता प्रमाणपत्र समाप्त हो गया है, कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक उस प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, चिकित्सा प्राधिकारी से अभिप्राप्त एक नया प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है और उसकी एक प्रति धारा 139 के अधीन आय-कर की विवरणी के साथ प्रस्तुत नहीं की जाती है ।

प्रस्तावित नई धारा "निःशक्तता", "चिकित्सा प्राधिकारी", "निःशक्त व्यक्ति" और "गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्ति" पदों को भी, जो प्रस्तावित नई धारा में प्रयुक्त है, परिभाषित करती है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 41 - जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अभिदाय आदि पर कर रिबेट से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 88 का संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (क)(i) उपधारा (2) में नया उपखंड (xivख) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था को निर्धारिती के किन्हीं दो बालकों की पूर्णकालिक शिक्षा के प्रयोजन के लिए, प्रवेश के समय या उसके पश्चात् (किसी विकास फीस या संदान या उसी प्रकार के संदाय के लिए किए गए किसी भुगतान को अपवर्जित करते हुए) अध्यापन फीस के रूप में संदत्त किसी राशि के लिए कर रिबेट का उपबंध किया जा सके ।

उपखंड (क)(ii) उक्त उपधारा (2) के खंड (xvi) के अधीन स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे अन्य बातों के साथ, "उपयुक्त पूंजी प्रोद्धरण" पद को ऐसे पद के रूप में परिभाषित किया जा सके जो भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी पब्लिक कंपनी या किसी पब्लिक वित्तीय संस्था द्वारा किया गया है और ऐसे प्रोद्धरण के समस्त आगमों का उपयोग पूर्ण रूप से और अनन्य रूप से आय-कर अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाता है ।

उपखंड (ख) में एक नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (2) के उपबंध केवल आस्थगित वार्षिकी के लिए

किसी करार से भिन्न किसी बीमा पालिसी के संबंध में दिए गए किसी प्रीमियम या अन्य संदाय के उतने भाग को ही लागू होंगे जो वास्तविक बीमा पूंजी राशि के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

प्रस्तावित उपधारा (2क) में स्पष्टीकरण द्वारा यह स्पष्ट करने का भी प्रस्ताव है कि ऐसी किसी वास्तविक पूंजी राशि की संगणना करने में वापस किए जाने के लिए करार की गई किन्हीं प्रीमियमों के मूल्य पर या वास्तव में बीमा राशि के अधिक बोनस के रूप में या अन्यथा किसी फायदे पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जो किसी व्यक्ति द्वारा पालिसी के अधीन प्राप्त किया जाना है या प्राप्त किया जा सकता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उपखंड (ख) उपधारा (4) में नया खंड (घ) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि उक्त उपधारा (2) के खंड (xivख) के प्रयोजनों के लिए किसी व्यष्टि की दशा में ऐसे व्यष्टि के किन्हीं दो बालकों की बाबत कटौती का उपबंध किया जा सके ।

उपखंड (ग), उपधारा (5) में दूसरे परंतुक के पश्चात् एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (2) के खंड (xivख) में विनिर्दिष्ट कोई कुल राशि प्रत्येक बालक की बाबत बारह हजार रुपए की रकम से अधिक हो जाती है वहां ऐसी राशि की बाबत उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती उस कुल राशि के प्रतिनिर्देश से अनुज्ञात की जाएगी जो ऐसे प्रत्येक बालक की बाबत बारह हजार रुपए की रकम से अधिक नहीं होती है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 42 - पैंसठ वर्ष या उससे अधिक के व्यष्टियों की दशा में आय-कर की रिबेट से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 88ख का संशोधन करने के लिए है ।

विद्यमान उपबंध के अधीन पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की आयु समूह के व्यक्ति किसी निर्धारण वर्ष में, अपनी कुल आय पर आय-कर की रकम से, जिससे वे उस निर्धारण वर्ष के लिए कर से प्रभार्य है, ऐसे आय-कर के सौ प्रतिशत के बराबर रकम की या पन्द्रह हजार रुपए की रकम की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती के हकदार हैं ।

रिबेट की उक्त सीमा को पन्द्रह हजार रुपए से बढ़ाकर बीस हजार रुपए करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 43 - विदेशों से करार से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 90 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, भारत के बाहर किसी देश की सरकार से ऐसी आय की बाबत राहत के लिए जिस पर आय-कर अधिनियम, के अधीन आय-कर और उस देश में आय-कर दोनों संदत्त किए जा चुके हैं या उस अधिनियम के अधीन और उस देश में प्रवृत्त तत्समान विधि के अधीन आय के दोहरे कराधान, आदि का परिवर्जन करने के लिए करार कर सकती है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है कि केंद्रीय सरकार, भारत से बाहर किसी देश की सरकार से, अन्य बातों के साथ-साथ, पारिस्परिक आर्थिक संबंध, व्यापार और विनिधान के संवर्धन के लिए, आय-कर अधिनियम या उस देश में प्रवृत्त तत्समान विधि के अधीन प्रभार्य आय-कर की बाबत राहत देने के लिए करार कर सकती है ।

नई उपधारा (3) को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां केंद्रीय सरकार ने उपधारा (1) के अधीन भारत के बाहर किसी देश की सरकार से करार किया है वहां आय-कर अधिनियम या करार में प्रयुक्त किए गए किंतु परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, और उस अधिनियम या करार के उपबंधों से असंगत न हो, वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 44 - विदेशी कंपनियों की दशा में लाभांश, स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115क का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों को धारा 115क की परिधि से अपवर्जित करने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के विद्यमान उपबंधों में उस दर का उपबंध है जिस पर आय कर संदेय होगा जहां किसी विदेशी कंपनी की कुल आय सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त फीसों के रूप में कोई आय 31 मार्च, 1976 के पश्चात् विदेशी कंपनियों द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ किया जाता है और उस करार का केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है या जहां वह करार भारत की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है वहां ऐसा करार उस नीति के अनुसार है।

उपर्युक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे इसे धारा 44घक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय से भिन्न, किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी को, स्वामिस्व के रूप में प्राप्त या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में प्राप्त आय को लागू किया जा सकेगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 45 - विदेशी करेंसी में क्रय किए गए बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115कग का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों को धारा 115कग की परिधि से अपवर्जित करने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा 115ण की उपधारा (1) के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 46 - विदेशी मुद्रा में क्रय की गई सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों या उसके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115कगक का संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों को धारा 115कगक की परिधि से अपवर्जित करने के लिए है । प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा 115ण के अंतःस्थापन के परिणामस्वरूप है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 47 - विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की प्रतिभूतियों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों को उक्त धारा की परिधि से अपवर्जित करने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 48 - अनिवासियों की आय के संबंध में विशेष उपबंधों की दशा में परिभाषाओं से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115ग का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों को उक्त धारा 115ग की परिधि से अपवर्जित करने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 49 - देशी कंपनियों के वितरित लाभों पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115ण का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंध के अधीन, कोई देशी कंपनी, वितरित लाभों पर कर का संदाय करने के लिए दायी है । कंपनी द्वारा इस प्रकार संदत्त कर को, 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2002 को या उसके पूर्व लाभांश के रूप में घोषित, वितरित या संदत्त रकम की बाबत कर का अंतिम संदाय माना जाता है।

उक्त उपधारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि इस धारा के उपबंधों को देशी कंपनियों द्वारा 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् वितरित लाभांशों की

बाबत (चाहे चालू या संचित लाभ हों) लागू किया जा सके । ऐसे लाभों को साढ़े बारह प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाएगा ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् लाभांश के रूप में घोषित वितरित या संदत्त राशि के संबंध में लागू होगा।

खंड 50 - यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115द का संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय-कर अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित की गई आय की कोई रकम कर के लिए प्रभार्य होगी और ऐसी विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि, ऐसी वितरित आय पर साढ़े बारह प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर का संदाय करने की दायी होगी । यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि ऐसी निधियों से किए गए किसी वितरण की बाबत विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक द्वारा यूनिट धारकों को या खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधियों के यूनिट धारकों को 1 अप्रैल, 2003 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए वितरित किसी आय की बाबत अतिरिक्त कर उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा ।

उक्त उपधारा में प्रयुक्त "प्रशासक" और "विनिर्दिष्ट कंपनी" पदों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन, 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 51 - कर के असंदाय के लिए संदेय ब्याज से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115ध का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उस धारा के उपबंध भारतीय यूनिट ट्रस्ट के बजाय भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ज) में यथानिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कंपनी को किए जा सकें ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 52 - यह उपबंध करने के लिए धारा 115न का संशोधन करने के लिए है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारिस्परिक निधि व्यतिक्रमी निर्धारिती होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उस धारा के उपबंध भारतीय यूनिट ट्रस्ट के बजाय भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ज) में यथाविनिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कंपनी को लागू किए जा सकें।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 53 - तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 132 का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iii) में विद्यमान उपबंध में तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई किन्हीं लेखाबहियों, अन्य दस्तावेजों, धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज के अभिग्रहण का उपबंध है ।

उक्त खंड में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए कोई सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, जो कारबार का स्टाक व्यापार है, पाई जाती है, अभिगृहीत नहीं की जाएगी किंतु प्राधिकृत अधिकारी ऐसे कारबार के व्यापार स्टाक का टिप्पण या सूची तैयार करेगा ।

धारा 132 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां किसी मूल्यवान वस्तु या चीज का भौतिक कब्जा लेना और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर हटाना, उसके परिमाण, भार या अन्य भौतिक लक्षणों के कारण या उसके खतरनाक प्रकृति के होने के कारण संभव या साध्य नहीं है तो प्राधिकृत अधिकारी उसके स्वामी या उस व्यक्ति पर, जिसका उस पर अव्यवहित कब्जा या नियंत्रण है, यह आदेश तामील कर सकेगा कि वह उसे ऐसे प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना न तो हटाएगा या न अलग करेगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के पश्चात् एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि दूसरे परंतुक की कोई बात ऐसी किसी मूल्यवान वस्तु या चीज जो कारबार का व्यापार स्टाक है, की दशा में लागू नहीं होगी ।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगी।

31 मई, 2003 के पश्चात् तलाशी या अध्यपेक्षा की दशा में निर्धारण (देखिए खंड 59) से संबंधित एक नई धारा 153क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है । उक्त धारा 132 की उपधारा (8) में नई धारा 153क का निर्देश देने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

ये संशोधन 1 जून, 2003 से लागू होंगे ।

खंड 54 - तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 132ख का संशोधन करने के लिए है ।

31 मई, 2003 के पश्चात् की गई तलाशी या की गई अध्यपेक्षा की दशा में निर्धारण (देखिए खंड 59) से संबंधित एक नई धारा 153क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है । उक्त धारा 132ख में नई धारा 153क का निर्देश देने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) के पहले परंतुक के विद्यमान उपबंध में धारा 132 के अधीन तलाशी के दौरान अभिगृहीत या धारा 132क के अधीन अपेक्षित किसी आस्ति के उन्मोचन का उपबंध है, यदि ऐसी आस्ति के अर्जन की प्रकृति और स्रोत उससे किसी विद्यमान कर दायित्व की वसूली करने के पश्चात् और मुख्य आयुक्त या आयुक्त का अनुमोदन लेने के पश्चात् निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में स्पष्ट कर दिया जाता है ।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक के अधीन निर्दिष्ट आस्ति उन्मोचित कर दी जाएगी यदि अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित व्यक्ति उस मास के, जिसमें आस्ति अभिगृहीत की गई थी, यदि संबंधित व्यक्ति अंत से तीस दिन के भीतर निर्धारण अधिकारी को कोई आवेदन करता है ।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 55 - सर्वेक्षण की शक्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 133क का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 133क की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, इस धारा के अधीन कार्य कर रहा कोई आय-कर प्राधिकारी, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या आयुक्त या निदेशक का अनुमोदन प्राप्त किए बिना, उसके द्वारा निरीक्षण की गई किन्हीं लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को ऐसा करने के कारण अभिलिखित करने के पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है ।

उक्त उपखंड (ख) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन कार्य कर रहा आय-कर प्राधिकारी, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त किए बिना केवल दस दिन की अवधि के लिए (अवकाशों को छोड़कर) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा ।

यह और प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (6) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व एक परंतुक अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही या शक्ति, यथास्थिति, संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना सहायक निदेशक या किसी उपनिदेशक या किसी निर्धारण अधिकारी या किसी कर वसूली अधिकारी या आय-कर निरीक्षक द्वारा नहीं की जाएगी या प्रयोग नहीं की जाएगी ।

उक्त धारा की उपधारा (6) के नीचे स्पष्टीकरण के विद्यमान उपबंध के अधीन "आय-कर प्राधिकारी" पद को परिभाषित किया गया है जिससे कि उसके अंतर्गत किसी आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, निदेशक, संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक या उपनिदेशक या किसी निर्धारण अधिकारी को सम्मिलित किया जा सके और कतिपय विनिर्दिष्ट खंडों के प्रयोजनों के लिए और यदि ऐसे प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकृत किया जाए तो आय-कर निरीक्षक को भी सम्मिलित किया जा सकेगा ।

धारा के स्पष्टीकरण के खंड (क) में, "आय-कर प्राधिकारी" पद की परिभाषा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उसमें "कर वसूली अधिकारी" को सम्मिलित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होंगे ।

खंड 56 - आय की विवरणी से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंध के अधीन, प्रत्येक कंपनी, चाहे उसकी आय या हानि हो, और कंपनी से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति से, यदि उसकी कुल आय, जिसकी बाबत वह पूर्ववर्ष के दौरान आय-कर अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, नियत तारीख को या उसके पूर्व विहित प्ररूप और रीति में ऐसी आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है ।

उक्त धारा की उपधारा (1क) के पश्चात् एक नई उपधारा (1ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी देने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति, जो कंपनी है या कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति है, अपने विकल्प पर ऐसी स्कीम के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसे प्ररूप में (जिसके अंतर्गत कोई फ्लापी, डिस्कैट, मेग्नेटिक कैट्रिज टेप, सीडी-रोम या कोई अन्य कंप्यूटर पठनीय संचार माध्यम भी है) और ऐसी रीति में, जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी पूर्ववर्ष के लिए अपनी आय की विवरणी देगा और ऐसी दशा में, ऐसी स्कीम के अधीन की गई आय की विवरणी धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन दी गई आय की विवरणी समझी जाएगी और आय-कर अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 57 - स्वतः निर्धारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 140क का संशोधन करने के लिए है ।

31 मई, 2003 के पश्चात् की गई तलाशी या अधिग्रहण की दशा में निर्धारण से संबंधित (देखिए खंड 59) एक नई धारा 153क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है । उक्त धारा 140क में नई धारा 153क का निर्देश देने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 58 - निर्धारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 143 का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 143 की उपधारा (2) के खंड (i) के विद्यमान उपबंध के अधीन, जहां धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में विवरणी दी गई है वहां निर्धारण अधिकारी, जहां उसका यह विश्वास करने का कारण है कि विवरणी में दी गई किसी हानि, छूट, कटौती, मोक या अनुतोष का कोई दावा अननुज्ञेय है वहां वह निर्धारिती को एक सूचना तामील करेगा जिसमें हानि, छूट, कटौती, मोक या अनुतोष के ऐसे दावे की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जाएंगी और उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी तारीख को यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उसमें विनिर्दिष्ट कोई साक्ष्य या विशिष्टियां, जिन पर निर्धारिती अपने दावे के समर्थन में निर्भर करता है, पेश करे या करवाए । तत्पश्चात्, निर्धारण अधिकारी, उपधारा (3) के खंड (i) के अधीन ऐसे साक्ष्य की सुनवाई के पश्चात् और ऐसी विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें निर्धारिती पेश करे, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट दावे या दावों को मंजूर या खारिज करता है और तदनुसार कुल आय या हानि का अवधारण करते हुए निर्धारण करता है और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय राशि का निर्धारण करता है ।

उक्त धारा की पूर्वोक्त उपधारा (2) के खंड (i) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के खंड (i) के अधीन कोई सूचना 1 जून, 2003 को या उसके पश्चात् निर्धारिती पर तामील नहीं की जाएगी।

उपधारा (2) के खंड (ii) के नीचे परंतुक का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे "इस उपधारा के अधीन कोई सूचना" शब्दों के स्थान पर "खण्ड (ii) के अधीन कोई सूचना" शब्द रखे जा सकें । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

ये संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होंगे ।

खंड 59 - 31 मई, 2003 के पश्चात् की गई तलाशी की अध्यपेक्षा की दशा में निर्धारण से संबंधित आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण को पूरा करने की समयसीमा और कतिपय मामलों में किसी अन्य व्यक्ति की आय के निर्धारण को विहित करने के लिए आय-कर अधिनियम में नई धारा 153क, धारा 153ख और धारा 153ग अंतःस्थापित करने के लिए है।

नई धारा 153क में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति की दशा में जहां 31 मई, 2003 के पश्चात् धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या आस्तियों की अध्यपेक्षा की जाती है वहां निर्धारण अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी करेगा, जिसमें उससे ऐसी अवधि के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए खंड (ख) में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों में आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत आय की विवरणी ऐसे प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां उपदर्शित करने की जो विहित की जाए अपेक्षा की जाएगी तथा आय-कर अधिनियम के उपबंध यथासाध्य तदनुसार इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी विवरणी धारा 139 के अधीन दी जानी अपेक्षित है । निर्धारण अधिकारी पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व छह निर्धारण वर्षों की कुल आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा जिसमें ऐसी तलाशी या अध्यपेक्षा की जाती है । इस खंड में यह उपबंधित है कि, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन तलाशी लेने या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख को लंबित इस धारा में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों की अवधि के भीतर आने वाले किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धारण या पुनर्निर्धारण, यदि कोई हो, का उपशमन होगा । यह खंड यह उपबंध भी करता है कि धारा 153क, धारा 153ख और धारा 153ग में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध उन धाराओं के अधीन किए गए निर्धारण या पुनर्निर्धारण में लागू होंगे और इस धारा के अधीन किसी निर्धारण वर्ष की बाबत किए गए निर्धारण या पुनर्निर्धारण में, ऐसे निर्धारण वर्ष को लागू दर या दरों पर कर प्रभार्य होगा।

प्रस्तावित नई धारा 153ख की उपधारा (1) में ऐसे व्यक्ति की दशा में निर्धारण पूरा करने की समय-सीमा का उपबंध है जहां धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132क के अधीन लेखा बहियां, अन्य दस्तावेजों या आस्तियों की अध्यपेक्षा की जाती है, निर्धारण पूरा करने की समय-सीमा के लिए उपबंध है । यह उपबंध है कि निर्धारण अधिकारी धारा 153क के खंड (ख) में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई थी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई थी, दो वर्ष की अवधि के भीतर निष्पादित किया गया था । निर्धारण अधिकारी, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष की बाबत जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है, उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा का अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, दो वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश निष्पादित करेगा । यह खंड यह उपबंध भी करता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में अवधि जिसके दौरान निर्धारण की कार्रवाई पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश के द्वारा रोक लगा दी जाती है ; या उस दिन से प्रारंभ होने वाली जिसको निर्धारण अधिकारी धारा 142 की उपधारा (2क) उसके लेखाओं की लेखापरीक्षा का निदेश देता है और उस दिन को समाप्त होने वाली अवधि जिसको निर्धारिती से उस उपधारा के अधीन ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट देने की अपेक्षा की जाती है ; या पूरी कार्रवाई या उसके किसी भाग को पुनः खोलने में या निर्धारिती को धारा 129 के उपबंध के अधीन पुनः सुनवाई का अवसर देने में लगा समय ; या उस दशा में जहां धारा 245ग के अधीन आय-कर समझौता आयोग के समक्ष किया गया कोई आवेदन उसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है या उसके द्वारा कार्रवाई करने के लिए अनुज्ञात नहीं की जाती है, उस तारीख से प्रारंभ होने वाली जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है और उस तारीख से समाप्त होने वाली अवधि, जिसको धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन आयुक्त द्वारा उस धारा की उपधारा (2) के अधीन आदेश प्राप्त किया जाता है, अपवर्जित की जाएगी । इस खंड में यह भी उपबंध है कि जहां उपर्युक्त अवधि के अपवर्जन के ठीक पश्चात् परिसीमा की अवधि, यथास्थिति, निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी के पास साठ दिनों से कम उपलब्ध है वहां ऐसी शेष अवधि को साठ दिनों तक विस्तारित किया जाएगा और परिसीमा की उपर्युक्त अवधि को तदनुसार विस्तारित किया गया समझा जाएगा।

नई उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकार को तलाशी की दशा में, किसी ऐसे व्यक्ति की बाबत जिसके मामले में प्राधिकार का वारंट जारी किया गया है, बनाए गए अंतिम पंचनामे में अभिलिखित तलाशी पूरी होने पर धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की दशा में, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या आस्तियों की वास्तविक प्राप्ति पर, निष्पादित किया गया समझा जाएगा ।

प्रस्तावित नई धारा 153ग में किसी अन्य व्यक्ति की आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण का उपबंध है । जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य बहुमूल्य वस्तु या चीज या लेखा बहियां या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित दस्तावेज धारा 153क में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के हैं वहां लेखा बहियां, दस्तावेज या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित आस्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दी जाएंगी और वह निर्धारण अधिकारी प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा और ऐसे अन्य व्यक्ति को सूचना जारी करेगा तथा धारा 153क के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा ।

ये संशोधन 1 जून, 2003 से लागू होंगे ।

खंड 60 - अन्य संशोधनों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 155 का संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा में एक नई उपधारा (16) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी वर्ष के निर्धारण में, पूंजी आस्ति के अंतरण से, जो किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन के रूप में अंतरण है या ऐसा अंतरण है, जिसके लिए प्रतिफल केंद्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवधारित या अनुमोदित किया गया था, प्रोद्‌भूत पूंजी अभिलाभ की संगणना धारा 45 की उपधारा (5), यथास्थिति, खंड (क) में निर्दिष्ट पहली बार प्राप्त प्रतिकर या प्रतिफल या वर्धित कर या और प्राप्त हुए खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रतिकर या प्रतिफल को, प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में लेकर की जाती है और बाद में ऐसे प्रतिकर और प्रतिफल को किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी अपील या पुनरीक्षण या निर्देश में कम कर दिया जाता है वहां निर्धारण अधिकारी, न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार कम किए गए प्रतिकर या प्रतिफल को, प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में लेकर उस वर्ष के उक्त पूंजी अभिलाभ की संगणना को पुनरीक्षित करने के लिए निर्धारण के आदेश को संशोधित करेगा ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (17) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी निर्धारिती को किसी निर्धारण वर्ष में किसी पेटेंट की बाबत धारा 80ददख के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात की गई है और बाद में पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन कलक्टर या उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा पेटेंट प्रतिसंहृत किया गया था, या निर्धारिती के नाम को उस पेटेंट की बाबत पेटेंटी के रूप में पेटेंट रजिस्टर से निकाल दिया गया था, वहां उस अवधि के लिए, जिसके दौरान पेटेंट प्रतिसंहृत किया गया था या जिसके लिए निर्धारिती का नाम उस पेटेंट की बाबत पेटेंटी के रूप में निकाला गया था, दिए गए स्वामिस्व के रूप में आय से कटौती गलत तौर पर अनुज्ञात की गई समझी जाएगी और निर्धारण अधिकारी, उस उपधारा में उपबंधित रीति में आय की पुनःसंगणना कर सकेगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 61 - आय-कर अधिनियम में, तलाशी मामलों के निर्धारण के लिए विशेष प्रक्रिया का उपबंध करने वाले अध्याय 14ख के उपबंधों के लागू न होने का उपबंध करने के लिए एक नई धारा 158खझ अंतःस्थापित करने के लिए है ।

विधेयक के खंड 59 में तलाशी या अध्यपेक्षा करने की दशा में निर्धारण के लिए उपबंध करने के लिए आय-कर अधिनियम में तीन नई धाराएं 153क, 153ख और 153ग अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि इस अध्याय के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां 31 मई, 2003 के पश्चात्, धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन लेखाबहियां, अन्य दस्तावेज या आस्तियों की अध्यपेक्षा की जाती है।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 62 - अभिकर्ता के रूप में कौन समझे जाएं से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 163 का संशोधन करने के लिए है ।

विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी अनिवासी के संबंध में "अभिकर्ता" के अंतर्गत, भारत में कोई ऐसा व्यक्ति भी है, जिसका अनिवासी के साथ कोई कारबारी संपर्क है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "कारबारी संपर्क" पद का वही अर्थ है, जो आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण (2) में है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 63 - फर्म के रूप में निर्धारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 184 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (5) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन जहां, किसी निर्धारण वर्ष की बाबत किसी फर्म की ओर से ऐसी कोई असफलता होती है जो धारा 144 में उल्लिखित है, वहां फर्म का उक्त निर्धारण वर्ष के लिए उस हैसियत में निर्धारण नहीं किया जाएगा और तब उस फर्म का निर्धारण उस रीति में किया जाएगा जिस रीति से व्यक्ति-संगम का निर्धारण किया जाता है और आय-कर अधिनियम के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

उक्त उपधारा (5) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी निर्धारण वर्ष की बाबत किसी फर्म की ओर से ऐसी कोई असफलता होती है जो धारा 144 में उल्लिखित है, वहां फर्म का इस प्रकार निर्धारण किया जाएगा कि ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक के संदाय के रूप में, चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, जो ऐसी फर्म द्वारा ऐसी फर्म के किसी भागीदार को किया गया हो, कोई कटौती "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में अनुज्ञात नहीं की जाएगी तथापि ऐसा ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक आय-कर अधिनियम की धारा 28 के खंड (v) के अधीन आय-कर से प्रभार्य नहीं होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 64 - जब धारा 184 का अनुपालन नहीं किया जाता है तब निर्धारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 185 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध के अधीन, जहां कोई फर्म किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 184 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती है वहां उस फर्म का उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण उस रीति से किया जाएगा, जिस रीति से किसी व्यक्ति-संगम का निर्धारण किया जाता है और आय-कर अधिनियम के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

उक्त धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय-कर अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई फर्म किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 184 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती है वहां उस फर्म का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक के संदाय के रूप में, चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, जो ऐसी फर्म द्वारा ऐसी फर्म के किसी भागीदार को किया गया हो, कोई कटौती "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में अनुज्ञात नहीं की जाएगी तथापि ऐसा ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक आय-कर अधिनियम की धारा 28 के खंड (v) के अधीन आय-कर से प्रभार्य नहीं होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 65, आय-कर के प्रत्यक्ष संदाय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 191 का संशोधन करने के लिए है।

धारा 191 के विद्यमान उपबंध के अधीन, ऐसी आय की दशा में, जिसकी बाबत संदाय के समय आय-कर की कटौती करने के लिए आय-कर अधिनियम के अध्याय 17 के उपबंधों के अधीन उपबंध नहीं किया गया है और ऐसी किसी दशा में, जिसमें उक्त अध्याय के उपबंधों के अनुसार आय-कर की कटौती नहीं की गई है वहां आय-कर निर्धारिती द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संदेय होगा ।

यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि यदि धारा 194 में निर्दिष्ट प्रधान अधिकारी या कंपनी जिसका वह प्रधान अधिकारी है, या धारा 200 में निर्दिष्ट व्यक्ति संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करता है और ऐसा आय-कर निर्धारिती द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से संदत्त नहीं किया गया है तो ऐसे व्यक्ति, प्रधान अधिकारी या कंपनी को ऐसे किन्हीं अन्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो वह उपगत करे, ऐसे कर की बाबत धारा 201 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यतिक्रमी निर्धारिती समझे जाएंगे।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 66 - प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में संदायों से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 193 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध के अधीन, प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, प्रवृत्त दरों से स्रोत पर कर की कटौती करे ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह केवल निवासियों को प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में किए गए संदाय की दशा में ही ऐसा करे ।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 67 - लाभांशों से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी कंपनी द्वारा ऐसे शेयरधारक की दशा में, जो व्यष्टि है, स्रोत पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित नहीं है, यदि कंपनी

द्वारा लाभांश पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा संदत्त किया जाता है, और, यथास्थिति, ऐसे लाभांश की रकम या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान संवितरित या संदत्त अथवा संवितरित या संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य ऐसे लाभांश की रकम का योग एक हजार रुपए से अधिक नहीं है ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा के पहले परंतुक का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन स्रोत पर कर की कटौती वहां नहीं की जाएगी जहां लाभांश की रकम या लाभांश की रकमों का योग दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अगस्त, 2002 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा के दूसरे परंतुक के पश्चात् एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 115ण में निर्दिष्ट किन्हीं लाभांशों की बाबत ऐसी कोई कटौती नहीं की जाएगी । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन, भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 68 - ठेकेदारों और उपठेकेदारों को संदाय से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194ग का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ठेकेदार या उपठेकेदार की कुल आय इतनी है कि, यथास्थिति, निम्नतर दर पर कर की कटौती करना या आय-कर की कटौती न करना न्यायोचित है वहां निर्धारण अधिकारी, ठेकेदार या उपठेकेदार द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर उसे ऐसे प्रमाणपत्र देगा, जो समुचित हो । उक्त धारा की उपधारा (5) यह उपबंधित करती है कि जहां कोई ऐसा प्रमाणपत्र दिया गया है वहां उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जब तक ऐसा प्रमाणपत्र निर्धारण अधिकारी द्वारा रद्द न कर दिया जाए, यथास्थिति, ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट दरों पर आय-कर की कटौती करेगा या किसी कर की कटौती नहीं करेगा।

प्रस्तावित संशोधन पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4) और उपधारा (5) का लोप करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 69 - लाटरी टिकटों के विक्रय पर कमीशन, आदि से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194छ का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंध के अधीन, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की, जो लाटरी टिकटों का स्टाक, वितरण, क्रय या विक्रय करता है या जिसने लाटरी टिकटों का स्टाक, वितरण, क्रय या विक्रय किया है, कुल आय पर, यथास्थिति, निम्नतर दर पर आय-कर की कटौती करना या आय-कर की कोई कटौती न करना न्यायोचित है वहां निर्धारण अधिकारी, ऐसे व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर उसे ऐसा प्रमाणपत्र देगा, जो समुचित हो । उक्त धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि जहां कोई ऐसा प्रमाणपत्र दिया गया है वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जब तक ऐसा प्रमाणपत्र निर्धारण अधिकारी द्वारा रद्द न कर दिया जाए, यथास्थिति, ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट दर पर आय-कर की कटौती करेगा या किसी कर की कटौती नहीं करेगा ।

प्रस्तावित संशोधन पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) और (3) का लोप करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 70 - किराए के रूप में संदाय से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194झ का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन, ऐसे किसी व्यक्ति से, जो किसी व्यक्ति को किराए के रूप में किसी आय का संदाय करने का उत्तरदायी है, विनिर्दिष्ट दरों पर स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह केवल निवासियों को किराए के रूप में किए गए संदाय की दशा में ही ऐसा करे ।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा।

खंड 71 - वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के विद्यमान उपबंध के अधीन, कोई व्यष्टि या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से आवृत्त उस वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें ऐसी राशि वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में जमा या संदत्त की जाती है, आय-कर अधिनियम की धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमा से अधिक होती है, तो इस उपधारा के अधीन आय-कर की कटौती की दायी होगा ।

उक्त उपधारा के दूसरे परंतुक के पश्चात् एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस के रूप में राशि पर आय-कर की कटौती का दायी होगा यदि ऐसी राशि व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से जमा या संदत्त की जाती है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंध के अधीन, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में राशि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय पर, यथास्थिति, किसी निम्नतर दर पर आय-कर की कटौती करना या आय-कर की कोई कटौती न करना न्यायोचित है वहां निर्धारण अधिकारी, ऐसे व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर उसे ऐसा प्रमाणपत्र देगा, जो समुचित हो । उक्त धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि जहां कोई ऐसा प्रमाणपत्र दिया गया है वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जब तक ऐसा प्रमाणपत्र निर्धारण अधिकारी द्वारा रद्द न कर दिया जाए, यथास्थिति, ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट दर पर आय-कर की कटौती करेगा या किसी कर की कटौती नहीं करेगा ।

प्रस्तावित संशोधन पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) और (3) का लोप करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

ये संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होंगे ।

खंड 72 - यूनिटों की बाबत आय से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194ट का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध के अधीन, धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों की बाबत किसी आय का, पाने वाले के खाते में या उसे संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है जहां, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की गई या संदत्त या जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य ऐसी आय की रकमों का योग एक हजार रुपए से अधिक नहीं है ।

उक्त धारा में पहले परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन स्रोत पर कर की कटौती वहां नहीं की जाएगी जहां आय की रकम या ऐसी आय की रकमों का योग दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अगस्त, 2002 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा में दूसरे परंतुक के पश्चात् एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् जमा की गई या संदत्त किसी ऐसी आय से इस धारा के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 73 - उक्त धारा में यथाउल्लिखित अन्य राशियों के संदाय से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 195 का संशोधन करने के लिए है। उक्त धारा में अंतर्विष्ट यह उपबंध है कि कोई व्यक्ति, जो किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को किसी ब्याज का (जो प्रतिभूतियों पर ब्याज नहीं है) या आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी राशि का (जो "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय नहीं है), संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, प्रवृत्त दरों से स्रोत पर कटौती करने के लिए अपेक्षित है ।

उक्त धारा की परिधि का विस्तार करने का प्रस्ताव है जिससे कि इसमें प्रतिभूतियों के ब्याज के रूप में किए गए संदायों को सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा ।

यह भी प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के परंतुक के पश्चात् एक नया परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी कंपनी द्वारा, 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात्, घोषित, वितरित या संदत्त किसी लाभांश से किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा।

खंड 74 - अनिवासियों के यूनिटों की बाबत आय से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 196क का संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा की उपधारा (1) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी ऐसी आय से नहीं की जाएगी, जो 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् जमा या संदत्त की गई है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 75 - भारतीय कंपनी के विदेशी करेंसी, बंधपत्रों या शेयरों से आय से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 196ग का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् किसी घरेलू कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त किसी लाभांश से किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 76 - प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की आय से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 196घ का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् किसी घरेलू कंपनी द्वारा घोषित या वितरित या संदत्त किसी लाभांश से किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 77 - निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 197 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी व्यक्ति की किसी आय की दशा में जहां, यथास्थिति, जमा करते समय या संदाय करते समय, आय-कर की कटौती धारा 192, धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194घ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ट, धारा 194ठ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन प्रवृत्त दरों पर करना अपेक्षित है वहां यदि निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्राप्तिकर्ता की कुल आय इतनी है कि, यथास्थिति, आय-कर की कटौती किन्हीं निम्नतर दरों के अनुसार करना या आय-कर की कटौती न करना न्यायोचित हो तो निर्धारण अधिकारी निर्धारिती के आवेदन पर ऐसा प्रमाणपत्र देगा, जैसा समुचित हो ।

प्रस्तावित संशोधन धारा 194ग में निर्दिष्ट ठेकेदारों और उपठेकेदारों को किसी राशि का संदाय, धारा 194छ में निर्दिष्ट लाटरी टिकटों के विक्रय द्वारा कमीशन आदि के रूप में किसी आय और धारा 194ञ में निर्दिष्ट वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में किसी राशि के संदाय को इस धारा की परिधि के भीतर लाने के लिए है ।

धारा 197 में पूंजी आस्ति के अर्जन पर प्रतिकर के संदाय से संबंधित धारा 194ठ के प्रतिनिर्देश का लोप करने का भी प्रस्ताव है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 78 - आय-कर अधिनियम की धारा 197क का संशोधन करने के लिए है जिसमें यह उपबंध है कि कुछ दशाओं में स्रोत पर कटौती नहीं की जाएगी ।

धारा 197क के विद्यमान उपबंध के अधीन, स्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं की जाती है, यदि कोई व्यष्टि, जो भारत में निवासी है, यह घोषणा प्रस्तुत करता है कि उसकी उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसी आय उसकी कुल आय की संगणना में सम्मिलित की जानी है, प्राक्कलित कुल आय पर कर शून्य होगा । उपरोक्त धारा की उपधारा (1क) में यह उपबंध है कि धारा 197क के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां उस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (1क) में निर्दिष्ट किसी आय की रकम या ऐसी आय की कुल रकम, जो उस पूर्ववर्ष के दौरान जिसमें ऐसी आय सम्मिलित की जानी है, जमा की गई है या संदत्त की गई है या जमा या संदत्त किए जाने की संभावना है, उस अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है ।

उक्त धारा में नई उपधारा (1ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 193 या धारा 194 या धारा 194क या धारा 194ङङ या धारा 194ट के अधीन कर की कोई कटौती ऐसे किसी निवासी भारतीय व्यष्टि की दशा में नहीं की जाएगी, जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक की आयु का है और धारा 88ख में निर्दिष्ट अपनी कुल आय पर आय-कर की रकम से कटौती के लिए हकदार है, यदि ऐसा व्यष्टि, यथास्थिति, धारा 193 या धारा 194 या धारा 194क या धारा 194ङङ या धारा 194ट में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को विहित प्ररूप में दो प्रतियों में लिखित रूप में और विहित रीति में सत्यापित इस प्रभाव की एक घोषणा प्रस्तुत कर देता है कि उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसी आय उसकी कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित की जानी है, उसकी अनुमानित कुल आय पर कर शून्य होगा ।

यह संशोधन, 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 79 - कर की कटौती करने वाले व्यक्तियों द्वारा विहित विवरणी के दिए जाने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 206 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंध के अधीन, सरकार के हर कार्यालय की दशा में विहित व्यक्ति, हर कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी, हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य लोक निकाय या संगम की दशा में विहित व्यक्ति, हर प्राइवेट नियोजक और हर ऐसे व्यक्ति से, जो कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी है, यह अपेक्षित है कि वह ऐसे प्ररूप में तैयार करके और ऐसी रीति में सत्यापित तथा ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, विहित आय-कर अधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय के भीतर आय की विवरणी परिदत्त करे या परिदत्त कराए । उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि स्रोत पर कटौती किए गए कर की विवरणियां फ्लापी, डिस्कैट, मैग्नेटिक कैट्रिज टेपों आदि जैसे कम्प्यूटर पठनीय संचार माध्यम पर, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, फाइल की जा सकेगी और ऐसी विवरणियों में सूचना को आय-कर अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के साक्ष्य में ग्रहण किया जाएगा । उक्त धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि विवरणी की निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी और उसे अधिप्रमाणित किया जाएगा और वह आकंड़ों की क्षति किए बिना ऐसे कंप्यूटर संचार माध्यम को अनुलिपि करके, अंतरण करके, चित्रांकन करके अथवा भंडारण करके बनाए रखने में सम्यक् सावधानी बरतेगा ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा की उपधारा (2) और उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है । प्रस्तावित उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि आय-कर अधिनियम के अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति, अपने विकल्प पर, ऐसी स्कीम के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय को या उसके पूर्व किसी फ्लापी, डिस्कैट, मेग्नेटिक कार्टरिज टेप, सीडी-रोम या किसी अन्य कंप्यूटर संचार माध्यम पर और ऐसी रीति में, जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी विवरणी परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा । उक्त धारा के प्रस्तावित परंतुक में यह उपबंध है कि प्रत्येक कंपनी की दशा में कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रधान अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय के भीतर उक्त स्कीम के अधीन कंप्यूटर संचार माध्यम पर ऐसी विवरणियां परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि कंप्यूटर संचार माध्यम पर फाइल की गई किसी विवरणी को इस धारा और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए विवरणी समझा जाएगा और वह उसके अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में, मूल को पेश करने के और सबूत के बिना मूल की किन्हीं अंतर्वस्तुओं के या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी ।

उपधारा (4) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां निर्धारण अधिकारी का यह विचार है कि उपधारा (2) के अधीन परिदत्त की गई या परिदत्त कराई गई विवरणी दोषपूर्ण है वहां वह, यथास्थिति, कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी को ऐसे दोष के बारे में सूचित कर सकेगा और ऐसी सूचना की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर और ऐसी और अवधि के भीतर जो इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर निर्धारण अधिकारी, अपने विवेकाधिकार से अनुज्ञात करे, दोष का सुधार करने का उसे अवसर दे सकेगा और यदि, यथास्थिति, पन्द्रह दिन की उक्त अवधि या इस प्रकार अनुज्ञात की गई और अवधि के भीतर दोष को सुधारा नहीं जाता है तो आय-कर अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी,

ऐसी विवरणी को अविधिमान्य विवरणी माना जाएगा और आय-कर अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति विवरणी देने में असफल रहा हो ।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 80 - एल्कोहाली लिकर, वनोत्पाद, स्क्रैप आदि के व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है।

उपखंड (क), अन्य बातों के साथ, उक्त धारा की उपधारा (1) में सारणी को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे भारत में बनी विदेशी शराब और स्क्रैप की दशा में दस प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर के संग्रहण का उपबंध किया जा सके ।

उपधारा (11) के नीचे स्पष्टीकरण के विद्यमान उपबंध के अधीन, "क्रेता" में, अन्य बातों के साथ, कोई क्रेता सम्मिलित नहीं है, जहां नीलामी के रूप में उसके द्वारा माल अभिप्राप्त नहीं किया जाता है और क्रेता द्वारा विक्रीत किए जाने वाले ऐसे माल की विक्रय कीमत किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन नियत की जाती है ।

उपखंड (ख) उक्त स्पष्टीकरण का संशोधन करने के लिए है जिससे धारा के उपबंधों को ऐसे क्रेता की दशा में लागू किया जा सके, जहां उसके द्वारा माल नीलामी के रूप में अभिप्राप्त नहीं किया जाता है और जहां क्रेता द्वारा विक्रीत किए जाने वाले ऐसे माल की विक्रय कीमत किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन नियत की जाती है।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 81 - कर समाशोधन प्रमाणपत्र से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 230 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) को दो नई उपधाराओं (1) और (1क) से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

प्रस्तावित नई उपधारा (1) में यह उपबंध है कि ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारत में अधिवासी नहीं है और जो अपने कारबार, वृत्ति या नियोजन के संबंध में भारत में आया है और जिसकी भारत में किसी स्रोत से व्युत्पन्न आय है, भारत का राज्यक्षेत्र, भू-मार्ग, जलमार्ग या वायुमार्ग से तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, अपने नियोजक से, या ऐसे व्यक्ति से, जिसके माध्यम से ऐसा व्यक्ति आय प्राप्त करता है विहित प्ररूप में, इस आशय का कोई वचनबंध नहीं दे देता है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत में अधिवासी नहीं है, संदेय कर खंड (i) में निर्दिष्ट नियोजक या खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा और विहित प्राधिकारी वचनबंध की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्ति को तुरंत भारत छोड़ने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देगा । तथापि उपधारा (1) के उपबंध ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे जो भारत में अधिवासी नहीं है किंतु किसी विदेशी पर्यटक के रूप में भारत में आता है ।

प्रस्तावित नई उपधारा (1क) में यह उपबंध है कि ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत में अधिवासी है, अपने प्रस्थान के समय आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, विहित प्ररूप में धारा 139क के अधीन उसे आबंटित स्थायी खाता संख्यांक या यदि ऐसा स्थायी खाता संख्यांक उसे आबंटित नहीं किया गया है या उसकी कुल आय आय-कर से प्रभार्य नहीं है या जो आय-कर अधिनियम के अधीन स्थायी खाता संख्यांक प्राप्त करने के लिए अपेक्षित नहीं है, आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो विहित किया जाए तो उसके आने का प्रयोजन और भारत के बाहर उनके ठहरने की अनुमानित अवधि के बारे में विहित प्ररूप आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो विहित किया जाए में एक प्रमाणपत्र देगा ।

तथापि, ऐसा कोई व्यक्ति, जो अपने प्रस्थान के समय भारत में अधिवासी है; और जिसके संबंध में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण आय-कर अधिकारी की राय में इस धारा के अधीन प्रमाणपत्र प्राप्त करना उसके लिए आवश्यक है, भारत का राज्यक्षेत्र, भू-मार्ग, जलमार्ग या वायुमार्ग से तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह आय-कर प्राधिकारी से, इस बात का कथन करने वाला एक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लेता है कि उसका इस अधिनियम, धन-कर अधिनियम, 1957, व्यय-कर अधिनियम, 1987 के अधीन कोई दायित्व नहीं है या यह कि ऐसे सभी या किसी कर के संदाय के लिए, जो उस व्यक्ति द्वारा संदेय है या संदेय हो सकते हैं, समाधानप्रद इंतजाम कर दिए गए हैं।

तथापि, कोई आय-कर प्राधिकारी, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए, जो भारत में अधिवासी है, इस धारा के अधीन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना तब तक अनिवार्य नहीं करेगा जब तक कि वह उसके लिए कारण अभिलिखित नहीं करता है और मुख्य आय-कर आयुक्त का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लेता है ।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 82 - आय-कर की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 234क का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 31 मई, 2003 के पश्चात् तलाशी या अध्यपेक्षा की दशा में निर्धारण से संबंधित नई धारा 153क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है । उक्त धारा 234क में नई धारा 153क का निर्देश देने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से लागू होगा ।

खंड 83 - अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए ब्याज से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 234ख का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 31 मई, 2003 के पश्चात् तलाशी या अध्यपेक्षा की दशा में निर्धारण से संबंधित नई धारा 153क (खण्ड 59 द्वारा) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है। उक्त धारा 234ख में नई धारा 153क का निर्देश देने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से लागू होगा ।

खंड 84 - अधिक प्रतिदाय पर ब्याज से संबंधित आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 234घ अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि जहां धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन कोई प्रतिदाय निर्धारिती को मंजूर किया जाता है और नियमित निर्धारण पर कोई प्रतिदाय देय नहीं है या धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिदत्त रकम नियमित निर्धारण पर प्रतिदेय रकम से अधिक है, वहां निर्धारिती, प्रत्येक मास या प्रतिदाय की मंजूरी की तारीख से ऐसे नियमित निर्धारण की तारीख तक की अवधि में समाविष्ट किसी मास के भाग के लिए इस प्रकार प्रतिदत्त संपूर्ण या अधिक रकम पर दो बटा तीन प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि जहां आय-कर अधिनियम की धारा 154 या धारा 155 या धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी आदेश के या धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन समझौता आयोग के किसी आदेश के परिणामस्वरूप धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम, यथास्थिति, पूर्ण रूप में या भाग रूप में सही रूप में अनुज्ञात की गई पाई जाती है वहां उपधारा (1) के अधीन प्रभार्य ब्याज, यदि कोई हो, तदनुसार घटा दिया जाएगा ।

यह भी प्रस्ताव है कि नई उपधारा (2) के नीचे एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 147 या धारा 153क के अधीन पहली बार किए गए किसी निर्धारण को पूर्वोक्त धारा के प्रयोजनों के लिए नियमित निर्धारण के रूप में माना जाएगा ।

ये संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 85 - अग्रिम विनिर्णय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 245ढ का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (ii) के विद्यमान उपबंध के अधीन, "अग्रिम विनिर्णय" से, अन्य बातों के साथ-साथ, अभिप्रेत है ऐसे संव्यवहार के संबंध में जो किसी अनिवासी आवेदक द्वारा अपने हाथ में लिया गया है या लिया जाना प्रस्तावित है, प्राधिकारी द्वारा अवधारण और ऐसे अवधारण के अंतर्गत विधि या तथ्य के किसी प्रश्न का अवधारण भी है ।

उक्त उपखंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि प्राधिकारी द्वारा अवधारण किसी निवासी आवेदक द्वारा ऐसे अनिवासी के साथ किए गए किसी संव्यवहार से उत्पन्न अनिवासी के कर दायित्व के संबंध में किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 जून, 2000 से प्रभावी होगा और ऐसी सभी अग्रिम विनिर्णयों के संबंध में, जो ऐसी तारीख को या उसके पश्चात् उद्घोषित की जाए, लागू होगा।

यह और प्रस्ताव है कि खंड (क) के उपखंड (iii) के पश्चात्, एक परंतुक अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उक्त खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी निवासी आवेदक द्वारा किसी आवेदन की बाबत प्राधिकारी द्वारा कोई अग्रिम विनिर्णय ऐसी तारीख से जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति

प्राप्त होती है से पहले सुनाया जाता है वहां ऐसा विनिर्णय धारा 245ध में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर आबद्धकर होगा जैसा वह ऐसे विनिर्णय से पूर्व था।

यह संशोधन उस तारीख से जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, प्रभावी होगा।

खंड 86 - आयुक्त (अपील) के समक्ष अपीलीय आदेश से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 246क का संशोधन करने के लिए है ।

31 मई, 2003 के पश्चात् की गई तलाशी या अध्यपेक्षा की दशा में निर्धारण से संबंधित एक नई धारा 153क (खण्ड 59 द्वारा) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है। उक्त धारा 246क की उपधारा (1) में एक नया खंड (खक) अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 153क के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण के आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 87 - कुछ ऋणों या निक्षेपों के प्रतिसंदाय के ढंग से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 269न का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध में यह उपबंध है कि किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक की कोई शाखा और कोई अन्य कंपनी या सहकारी सोसाइटी तथा कोई फर्म या अन्य व्यक्ति, उनको दिए गए किसी ऋण या किए गए किसी निक्षेप का प्रतिसंदाय, ऐसे व्यक्ति के नाम लिखे गए, जिसने ऐसा ऋण दिया है या निक्षेप किया है, पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही करेगी, अन्यथा नहीं, यदि ऋण या निक्षेप की रकम या ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित ऋणों या निक्षेपों का योग बीस हजार रुपए या उससे अधिक है ।

यह प्रस्ताव है कि पूर्वोक्त धारा का उसमें एक दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के उपबंध (i) सरकार ; (ii) किसी बैंककारी कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक ; (iii) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम ; (iv) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी ; (v) ऐसी अन्य संस्था, संगम या निकाय या संस्थाओं, संगमों या निकायों के वर्ग से, जिसे केंद्रीय सरकार, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित करे, लिए गए या प्राप्त किए गए किसी ऋण या निक्षेप के प्रतिसंदाय की दशा में लागू नहीं होंगे ।

यह संशोधन, भूतलक्षी रूप से, 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 88 - धारा 269न के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 271ङ का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंध के अधीन यदि कोई व्यक्ति, धारा 269न में निर्दिष्ट किसी निक्षेप का, उस धारा के उपबंधों से भिन्न रूप में प्रतिसंदाय करता है तो वह उस धारा में विनिर्दिष्ट शास्ति के लिए दायी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उस धारा की परिधि के भीतर "ऋण" को भी लाया जा सके। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 89 - शास्ति अधिरोपित करने के लिए परिसीमा के वर्जन से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 275 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) के विद्यमान उपबंध के अधीन, शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश उस दशा में जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण को अपील का विषय है, उस वित्तीय वर्ष की जिसमें वह कार्यवाही पूर्ण हुई है जिसके अनुक्रम में शास्ति के अधिरोपण की कार्यवाही प्रारंभ की गई है या उस मास के अंत से छह मास की, जिसमें, यथास्थिति, आयुक्त अपील या अपील अधिकरण का आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त होता है, इन कालावधियों में से जो भी बाद में समाप्त हो उस कालावधि की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा ।

उक्त खंड में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस दशा में जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश आय-कर अधिनियम की धारा 246 या धारा 246क के अधीन आयुक्त (अपील) को अपील का विषय है और आयुक्त अपील ऐसी अपील का निपटान करते हुए 1 जून, 2003 को या उसके पश्चात् आदेश पारित करता है वहां शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें वह कार्यवाही पूर्ण हुई है, जिसके अनुक्रम में शास्ति के अधिरोपण की कार्रवाई प्रारंभ की गई है, समाप्ति से पूर्व या उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें आयुक्त (अपील) का आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त होता है, अंत से एक वर्ष के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्‌वर्ती हो, पारित किया जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंध के अधीन, शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश उस दशा में जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश की धारा 263 के अधीन पुनरीक्षण का विषय है, उस मास के अंत से छह मास की, जिसमें उक्त धारा 263 के अधीन पुनरीक्षण आदेश पारित किया जाता है, समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा ।

उक्त खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस दशा में जहां आदेश धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण के अधीन है वहां शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश उस मास के अंत से, जिसमें पुनरीक्षण आदेश प्राप्त होता है, छह मास के भीतर पारित किया जाएगा ।

ये संशोधन, 1 जून, 2003 से प्रभावी होंगे ।

खंड 90 - विवरणी देने में असफल रहने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 276गग का संशोधन करने के लिए है ।

31 मई, 2003 के पश्चात् की गई तलाशी या अध्यपेक्षा की दशा में निर्धारण से संबंधित एक नई धारा 153क (खण्ड 59 द्वारा) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है । उक्त धारा 276गग में प्रस्तावित नई धारा 153क का निर्देश देने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा ।

खंड 91 - वार्षिक सूचना विवरणी के दिए जाने से संबंधित आय-कर अधिनियम की नई धारा 285खक को अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि कोई निर्धारिती, जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कोई वित्तीय संव्यवहार करता है, जो विहित किया जाए, किसी पूर्ववर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए ऐसे वित्तीय संव्यवहार की बाबत, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विहित समय के भीतर एक वार्षिक सूचना विवरणी देगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 92 - आय-कर अधिनियम में तेरहवीं अनुसूची और चौदहवीं अनुसूची का अंतःस्थापन करने का प्रस्ताव करता है । उक्त अनुसूचियां नई प्रस्तावित धारा 80झग के अधीन कटौतियों का फायदा लेने के प्रयोजनों के लिए क्रियाकलाप या वस्तु या चीज और राज्यों की सूची विनिर्दिष्ट करती हैं ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।